केवल आप के लिये
गांव–गांव शहर–शहर देश दुनियां में अपनों तक पहुंचाना है तो भारतीय बस्ती दैनिक वेब www.bhartiyabasti.com और उसका छपा संस्करण सबसे बेहतर माध्यम
सम्पर्क-bhartiyabasti@gmail.com
मो0 9450567450| 9336715406

दैनिक
भारतीय बस्ती

भारतीय बस्ती
www.bhartiyabasti.com के लिये विज्ञापन बुक कराये। विचार, प्रचार का सशक्त माध्यम सम्पर्क
मो0 9450567450
9336715406

भारतीय बस्ती आमंत्रण मूल्य 2रूपया

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं0 B.S.T 59 बस्ती, वर्ष :45 अंक 248 रविवार 31 मार्च 2024 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या–फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ :4मूल्य:3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

एक नजर

दुर्घटना में घायल महिला की मौत

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बनकटी (बस्ती)। दुर्घटना में घायल लालगंज थाना क्षेत्र के हटवा गांव निवासी मोहरा देवी (65) पत्नी जगराम चौधरी की इलाज के दौरान मौत हो गई।

गत बुधवार को वह अपने पति जगराम के साथ बस्ती आंख का इलाज कराने गई थी। इलाज करा कर अपने घर हटवा वापस आ रही थी। कि जैसे ही वह कैली अस्पताल के पास पहुंची ही थी। कि अचानक सामने के तरफ से आ रही अज्ञात वाहन की ठोकर से घायल हो गई। जिससे मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने कैली अस्पताल भिजवाया जहां पर चिकित्सक मरीज की हालत गंभीर देखते हुए मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिए। मेडिकल कॉलेज मे इलाज के दौरान शुक्रवार की रात्रि मृत्यु हो गई जिसकी सूचना घर पर मिलते ही पूरे परिवार में कोहराम मच गया।

मिला अंक पत्र, खिले चेहरे

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

पौली (संतकबीर नगर)। पौली विकास क्षेत्र के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व कम्पोजिट विद्यालयो पर वार्षिक परीक्षा का अंक वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूर्व माध्यमिक विद्यालय शनिचरा बाजार के सभागार में कार्यक्रम का शुभारम्भ मुख्य अतिथि खण्ड शिक्षाधिकारी अर्जुन प्रसाद वर्मा ने मां सरस्वती के चित्र पर मलयार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया। बच्चों को संबोधित करते हुए खंड शिक्षा अधिकारी अर्जुन प्रसाद वर्मा ने कहा कि निष्ठा व लगन से शिक्षण कार्य करे मंजिल जरूर मिलेगा। परिश्रम करने वालों की कभी हार नही होती। बाधाएं तो आती है लेकिन एक दिन वह भी दूर हो जाती है और विजय होती है। आप सभी धैर्य से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़े सफलता जरुर मिलेगा। विद्यालय के प्रधानाध्यापक भोलेंद्र यादव ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। विद्यालय के 308 बच्चों को अंकपत्र व पुरस्कार दे कर सम्मानित किया गया।

शिक्षा क्षेत्र के 59 प्राथमिक, 14 उच्च प्राथमिक व 16 कम्पोजिट विद्यालयो मे छात्र–छात्राओं को वार्षिक परीक्षा के उपरांतअंक पत्र वितरित किया गया।

कार्यक्रम में प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लाक अध्यक्ष उदय प्रताप यादव, राष्ट्रीय शैक्षिक संघ के ब्लाक अध्यक्ष गंगेश चतुर्वेदी, मुबारक अली, आदर्श मणि त्रिपाठी, एआरपी राजेंद्र यादव, हरिराम यादव, राजेश गुप्ता, अजय कुमार, दिलीप, बंटी, कौशलेंद्र प्रताप सिंह, सत्येंद्र मौर्य, बृजेश सिंह, अनिल कुमार, अन्नू सहित तमाम अभिभावक मौजूद रहे।

अंक पत्र वितरित

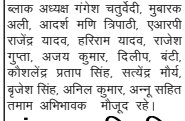

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती,। शहर के पचपेडिया रोड स्थित देलही सीनियर पब्लिक स्कूल में छात्र छात्राओं को प्रोग्रेस रिपोर्ट दी गई। इस अवसर पर पैरेन्ट्स मीटिंग तथा पुरस्कार वितरण का भी आयोजन किया गया। अभिभावकों ने स्कूल की शैक्षिक गुणवत्ता तथा प्रबंधन की जमकर तारीफ की। विद्यालय प्रबन्धक अमरमणि पाण्डेय ने कहा प्रति छात्र एक अध्यापक की नियुक्ति की गई है जिससे शिक्षा की गुणवत्ता कायम रहे।

विद्यालय की प्रधानाचार्या श्रीगती अर्चना पाण्डेय ने छात्र छात्राओं को मेहनत और लगन से आगे बढ़ने को प्रेरित किया। कार्यक्रम में विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाओ का विशेष योगदान सराहनीय रहा।

टैक्स मामले में घिरी कांग्रेस कमलनाथ भी निशाने पर

नई दिल्ली (आभा)। कांग्रेस की मुश्किलें आयकर मामले में बढ़ती नजर आ रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्य विपक्षी दल को विभिन्न न्यायिक निकायों से राहत मिलने के आसार कम हैं। न्यूज 18 ने सूत्रों के हवाले से बताया कि आयकर विभाग ने इस मामले में अदालतों में कई सबूत पेश किए हैं। इससे पता चलता है कि पार्टी को 2013–2019 के बीच 626 करोड़ रुपये की सीमा से अधिक नकद प्राप्त हुआ था। चुनावी प्रक्रिया में नकदी के व्यापक इस्तेमाल के कारण कांग्रेस ने 2018–19 में आयकर छूट खो दी थी। सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए कहा कि

पार्टी से 135 करोड़ रुपये की कर वसूली आयकर कानून के प्रावधानों के अनुरूप है।

रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस से इनकम टैक्स की कुल मांग 2,500 करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है। अप्रैल 2019 में आयकर को लेकर जो जांच हुई, उसी से यह जानकारी सामने आई। इस दौरान कांग्रेस ने मेघा इंजीनियरिंग और एक अन्य कंपनी से नकद प्राप्तियां दिखाईं, जो कि कमलनाथ के सहयोगियों की कशीबी बताई जाती है। सूत्रों ने बताया, श्मेधा इंजीनियरिंग से मिली नकद राशि ठेकों के बदले थी। कमलनाथ के सहयोगियों से मिली नकदी मध्य प्रदेश में चलाए गए कथित भ्रष्टाचार मामले से थी, जिसमें सीनियर नौकरशाहों, मंत्रियों और व्यापारियों सहित कई लोगों से रिश्वत की वसूली शामिल थी। इन नकद रसीदों की पुष्टि कई तरीकों से हुई, जैसे तलाशी के दौरान मिले दस्तावेज, व्हाट्सएप मैसेज और दर्ज किए गए बयान। कमलनाथ के आवास से एआईसीसी कार्यालय को 20 करोड़ रुपये के भुगतान का भी पता चला।श

सूत्रों ने कहा कि आकलन के बाद 2021 में कांग्रेस पार्टी से कर मांग की गई और उन्हें भुगतान करने के लिए कई बार पत्र भेजे गए। कार्यवाही के दौरान निर्धारित (कांग्रेस पार्टी) की ओर से दायर स्थगन याचिका को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद, आकलन आदेश के 33 महीने और आयकर आयुक्त (अपील) के आदेश के 10 महीने बाद भी, जब निर्धारिती ने मांग को नहीं चुकाया, तो आयकर अधिनियम की धारा 226 (3) के तहत वसूली की कार्यवाही शुरू की गई। ऐसे में कानून के प्रावधानों के अनुसार लगभग 135 करोड़ रुपये की बकाया मांग की वसूली कार्यवाही शुरू की गई। इस कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण और दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

बनकटी के खण्ड विकास अधिकारी को धमकी देने वाला जिला पंचायत सदस्य हिरासत में

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बनकटी (बस्ती)। बनकटी के खण्ड विकास अधिकारी भवानी प्रसाद शुक्ल की शिकायत पर लालगंज पुलिस ने जिला पंचायत सदस्य लवकुश राना को हिरासत में ले लिया है।

खण्ड विकास अधिकारी बनकटी ने लालगंज थानाध्यक्ष को दिये तहरीर में कहा है कि 30 मार्च शनिवार को वे अपने कार्यालय में उपस्थित थे उसी समय जिला पंचायत सदस्य लवकुश राना निवासी ग्राम कनेहटी थाना लालगंज उनके कार्यालय मे आये और उनसे गाली गलौज की भाषा में बात करते हुए बदतमीजी करने लगे। उनके मना करने पर मारपीट पर आमादा हो गये और उन्हे मारने की धमकी देने लगे कार्यालय के लोग आये और बीच बचाव किया।

वार्षिकोत्सव में छा गया बचपन, दिखी सांस्कृतिक विविधता की झलक

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। जूपिटर एकेडमी पब्लिक स्कूल परशुरामपुर के परिसर में शनिवार को वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि हरैया विधायक अजय सिंह और विशिष्ट अतिथि बीईओ ओंकारनाथ वर्मा तथा प्रधानाचार्य बृजेश पासवान ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप जलाकर किया। तत्पश्चात विद्यालय परिवार द्वारा अतिथियों का माल्यार्पण कर व बैज लगाकर स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि विधायक अजय सिंह ने बच्चों तथा उपस्थित जनसमूह को सम्बोधित करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन से बच्चों की प्रतिभा निखरती है और उनका सर्वांगीण विकास होता है। कहा कि इस तरह के कार्यक्रम बेहतर पठन–पाठन के माहौल में बहुत ही सहायक हैं। विद्यालय के बच्चों द्वारा सरस्वती वंदना, अतिथि स्वागत गीत, देशभक्ति गीत, स्वच्छता गीत, किसान गीत सहित विविध विषय वस्तु पर सांस्कृतिक नृत्य की प्रस्तुति की गई। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधक बुद्धि प्रकाश श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य विजय वर्मा, अखिलेश सिंह, श्रवण तिवारी, हेमंत सिंह, अमित चतुर्वेदी, जितेंद्र सिंह, कन्हैया गुप्ता, अजय सिंह, राजेश सिंह, बृजेश सिंह, डिंपल सिंह, प्रिंस शुक्ला, लवकुश वर्मा, प्रभापाल यादव, पालू गुप्ता, रिंकू गुप्ता आदि उपस्थित रहे।

बीएसए ने किया मतदान प्रतिशत बढाने का आवाहन

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। आदर्श प्राथमिक विद्यालय मूडघाट में वार्षिकोत्सव, परीक्षाफल वितरण, प्रवेश उत्सव और विदाई समारोह, नामांकन मेला और मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि बीएसए अनूप कुमार व विशिष्ट अतिथि बीईओ विनोद तिवारी रहे। इस दौरान बच्चों ने मनोहारी व रंगारंग कार्यक्रम से सबका मन मोह लिया।

कार्यक्रम में बीएसए अनूप कुमार ने सभी विद्यार्थियों को परीक्षाफल वितरित किया। बीएसए ने नवीन सत्र के लिए 'स्कूल चलो अभियान का प्रारंभ किया। इसके तहत 20 बच्चों को नवीन सत्र में प्रवेश दिलाया गया।

उन्होंने कुछ बच्चों को स्कूल बैग, पाठ्य पुस्तकें, स्टेशनरी, टाई, बेल्ट भी प्रदान किया। कार्यक्रम में मौजूद अभिभावकों से आगामी लोकसभा चुनाव में शत–प्रतिशत मतादिकार का प्रयोग करने की अपील की। प्रधानाध्यापक डॉ. सर्वेष्ट मिश्र ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए स्कूल के प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने सभी अभिभावकों को मतदान करने की शपथ भी दिलाई। इस अवसर पर आराधना श्रीवास्तव, शैल यादव, अश्वनी कौशिक, विनय चौधरी, रचना सिंह, एकता सिंह, नीतू कुमारी, राजमणि सहित काफी संख्या में ग्रामीण व बच्चे उपस्थित रहे।

मुख्तार अंसारी की मौत पर पाक मीडिया उगल रहा है जहर

लखनऊ (आभा)। माफिया से नेता बने पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर पाकिस्तानी मीडिया ने जहर उगलना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया ने माफिया मुख्तार अंसारी के मौत के पीछे योगी आदित्यनाथ की सरकार को दोषी ठहराया है। पाकिस्तानी अखबार डॉन में छपी एक रिपोर्ट में मुख्तार अंसारी की मौत के पीछे किसी साजिश को प्रमुखता दी गई है। डॉन ने लिखा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारत की सबसे अधिक आबादी वाले राज्य के एक ऐसे मुखिया हैं जो पुलिसिया तंत्र में विश्वास रखते हैं। डॉन ने लिखा कि मार्च 2017 में जब से उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार उनके नेतृत्व में सत्ता में आई है, तब से पुलिस ने कथित गोलीबारी की घटनाओं में 190 लोगों की गोली

मारकर हत्या कर दी है। इस तरह की कार्रवाई को यूपी में श्मुठभेड़श कहा जाता है।

डॉन ने लिखा कि मार्च 2017 से सितंबर 2023 तक, यूपी में पुलिस की मुठभेड़ में 5,591 लोग घायल हो चुके हैं। अखबार ने अंसारी की मौत को संदिग्ध बताते हुए कहा कि एक साल पहले यूपी में एक और बड़े मुस्लिम नेता (अतीक अहमद) को उत्तर प्रदेश में सरेआम लाइव टीवी के दौरान गोली मार दी गई थी। तब भी उत्तर प्रदेश की सरकार पर सवाल उठाए गए थे।

बता दें मुख्तार अंसारी का शव कड़ी सुरक्षा के बीच शनिवार को गाजीपुर जिले में उनके पैतृक निवास यूसुफपुर मोहम्मदाबाद के निकट कालीबाग स्थित कब्रिस्तान में सुपुर्द–ए–खाक किया गया।

एस.पी. आवास के सामने निर्माण कार्य रोकने की मांग:उच्चाधिकारियों को भेजा पत्र

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । कोतवाली थाना क्षेत्र के सिविल स्टेशन निवासी बुद्धी प्रकाश शुक्ल ने मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी सदर, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका और कार्यदायी संस्था सुडको को पत्र देकर पुलिस अधीक्षक आवास के सामने स्थित भूमि गाटा संख्या 73 में कराये जा रहे निर्माण को तत्काल प्रभाव से रोके जाने की मांग किया है।

भेजे पत्र में बुद्धी प्रकाश शुक्ल ने कहा है कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने पुलिस अधीक्षक आवास के सामने स्थित भूमि गाटा संख्या 73 से 96 लगभग 42 बीघा भूमि पर मण्डलायुक्त और उप जिलाधिकारी सदर के आदेश को निरस्त कर दिया है। ऐसी स्थिति में शासन द्वारा उक्त भूमि पर कोई निर्माण तब तक न किया जाय जब तक इस मामले में कोई और निर्णय नहीं आ जाता। बुद्धी प्रकाश शुक्ल ने कहा है उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश के बावजूद जिला प्रशासन द्वारा कार्यदायी संस्था सुडको के माध्यम से इन्डोर स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है जो न्यायापालिका के आदेश के विरुद्ध है। प्रेस को जारी विज्ञप्ति के माध्यम से बुद्धी प्रकाश शुक्ल ने कहा है कि यदि प्रशासन ने पुनः कार्य शुरु किया तो प्रकरण को सक्षम न्यायालय के समक्ष ले जाया जायेगा, इसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।

परिषदीय विद्यालय के छात्रों में अंक पत्र का वितरण खण्ड शिक्षाधिकारी ने बढाया छात्रों का हौसला

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। शनिवार को विकास खड बनकटी के अन्तर्गत संचालित प्राथमिक विद्यालय एकमा पर सत्र 2023– 24 मे उत्तीर्ण छात्रों का अंकपत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया । मुख्य अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी अरुण कुमार यादव और विशिष्ट अतिथि प्राथमिक शिक्षक संघ बनकटी ईकाई के संरक्षक सुदर्शन प्रसाद तिवारी एवं ए.आर.पी. बंशराज गुप्ता रहे ।

अंक पत्र वितरण समारोह को संबोधित करते हुए खंड शिक्षा अधिकारी बनकटी अरुण कुमार यादव ने कहा कि समाज शिक्षा के बिना अधूरा है । परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों का दायित्व है कि वे अभिभावकों का भरोसा जीतने के साथ ही छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें। इस अवसर पर विद्यालय के सभी छात्रों में शिक्षण सामग्री देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया।

सुदर्शन प्रसाद तिवारी और बंशराज गुप्ता ने कहा कि ऐसे आयोजन से बच्चों का मनोबल बढ़ता है । जिन छात्रों ने अच्छे अंक प्राप्त किये वे और परिश्रम करें, जिन्हें कम अंक मिला है वे निराश न हों और अपनी स्थिति सुधारें।

नोडल शिक्षक न्यायपंचायत एकमा ध्रुव नारायण दुबे ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए कहा कि परिषदीय विद्यालयों में छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल रही है। अभिभावक अपनी सोच बदलें और छात्रों का नामांकन परिषदीय विद्यालयों में करायें।

विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ बनकटी ईकाई के अध्यक्ष एवं जिला कोषाध्यक्ष अभय सिंह यादव ने विद्यालय परिवार के तरफ से आये सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर एवं प्रतीक चिन्ह भेंटकर सम्मानित करते हुए आभार व्यक्त किया । कहा कि अंक पत्र वितरण समारोह बड़ी उपलब्धि है। इससे छात्रों का उत्साहवर्धन होता है। परिषदीय विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में नये कीर्तिमान बना रहे हैं।

कार्यक्रम में मुख्य रूप से महेंद्र सिंह नवीन कुमार चौधरी अवनीश कुमार चौरसिया मारकण्डेय मिश्रा, आशा त्रिपाठी, उमेश चंद्र त्रिपाठी, राघव प्रसाद चतुर्वेदी, कृष्ण कुमार, मुकेश कुमार, घनश्याम यादव, इंद्रजीत कुमार चौधरी मंजेश राजभर रवि प्रताप सिंह, आदित्य नाथ त्रिपाठी सहित तमाम शिक्षक मौजूद रहे।

मुख्तार सुपुर्देखाक: भाई अफजाल और गाजीपुर डीएम के बीच जोरदार कहा सुनी

गाजीपुर (आभा)। मुख्तार अंसारी के जनाजे में उमड़ी हजारों की भीड़ देखकर पुलिस प्रशासन के हाथ–पांव फूलने लगे। प्रशासन ने भीड़ को रोकना चाहा, कि वह कालीबाग के कब्रिस्तान स्थल पर ना पहुंचने पाए, लेकिन भीड़ न सिर्फ कब्रिस्तान पहुंच गई, बल्कि जमकर नारेबाजी करने के साथ ही पुलिस–प्रशासन संग धक्का–मुक्की भी की।

यह देख जिलाधिकारी आर्यका अखौरी का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया और मुख्तार के बड़े भाई व सांसद अफजाल अंसारी को बुलाकर उनसे कड़े लहजे में पूछताछ करने लगीं। इस पर अफजाल अंसारी भी ऊंचे स्वर में जिलाधिकारी से बहस करते रहे।

जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने कहा कि धारा 144 लागू है, बावजूद इसके इतनी भीड़ क्यों इकट्ठा हो

गई। अफजाल ने कहा कि अंदर सिर्फ तीन–चार मजूदर हैं और हम तीन लोग हैं। डीएम ने कहा कि मिट्टी सिर्फ परिवार के लोग देंगे या फिर पूरा कस्बा? अफजाल ने ऊंचे स्वर में कहा कि जिसको मिट्टी देना है वह दे सकता है। डीएम ने कहा कि आपने इसका परमिशन क्यों नहीं लिया।

अफजाल ने फिर उसी अंदाज में कहा कि जनाजे के लिए दुनिया में कहीं किसी से कोई परमिशन नहीं लिया जाता है। आप किसी के जनाजे, मिट्टी व धार्मिक कार्यक्रम को नहीं रोक सकती हैं। इस पर जिलाधिकारी बिफर पड़ी और चेताया कि सबकी वीडियोग्राफी कराई गई है। एक–एक को चिह्नित कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अफजाल इतने पर भी नहीं रुके और कहा कि आपको कार्रवाई करनी है तो करिए। इस दौरान कुछ देर के लिए अफरातफरी का माहौल हो गया। हालांकि इसके बाद धीरे–धीरे भीड़ कब्रिस्तान स्थल से हटनी शुरू हो गई।

जिलाधिकारी आर्यका अखौरी के अनुसार, जिन्होंने नारेबाजी की है, उनकी वीडियोग्राफी कराई गई है। हम बार–बार एनाउंस भी कर रहे थे कि आदर्श आचार संहिता लगी है, इसका सभी को पालन करना चाहिए। जिसने उल्लंघन की है, उन्हें चिह्नित किया जाएगा। वीडियोग्राफी में अवलोकन करके जिस–जिस ने जो नारा लगाया है। उसके खिलाफ एफआइआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। मुख्तार अंसारी के जनाजे में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और मुख्तार को सुपुर्देखाक किया गया।

माध्यमिक शिक्षकों का तीन दिवसीय अभिमुखीकरण प्रशिक्षण सम्पन्न

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। एससीईआरटी लखनऊ के तत्वाधान में डायट बस्ती के सभागार में डायट प्राचार्य संजय कुमार शुक्ल के निर्देशन एवं मागदर्शन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन विषय पर माध्यमिक शिक्षकों का तीन दिवसीय अभिमुखीकरण प्रशिक्षण शनिवार को संपन्न हुआ। प्रशिक्षण के उपरांत डायट प्राचार्य द्वारा सभी 50 प्रतिभागी शिक्षकों को प्रमाण पत्र भी वितरित किया गया। डायट प्राचार्य संजय कुमार शुक्ल ने प्रशिक्षण समापन के अवसर पर प्रतिभागी शिक्षकों को सम्बोधित करते हुए कहा कि किसी भी शिक्षा नीति की सफलता उसके समुदाय के विश्वास और प्रयासों पर निर्भर होती है। शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लोकचार, लक्ष्यों, उद्देश्यों और आदर्श वाक्य को विस्तार से समझने में सक्रिय होना चाहिए तथा खुद को कुशल बनाना चाहिए। कहा कि समस्त शैक्षिक सुधारो का मूलभूत सोपान शिक्षक ही होता है अतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित यह प्रशिक्षण शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगा। नोडल प्रवक्ता अमन सेन ने कहा कि देश के समसामयिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का निर्माण किया गया है। संदर्भदाता अमन सेन, शैलेश पटवर और आदित्य वर्मा ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का परिचय, भारतीय ज्ञान प्रणाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अकादमिक नेतृत्व, सामुदायिक सहभागिता आदि विभिन्न संदर्भित विषयों पर विस्तृत प्रकाश डाला।

इस अवसर पर डायट प्रवक्ता डॉ गोविंद प्रसाद, अलीउद्दीन, वंदना चौधरी, सरिता चौधरी, अजय प्रकाश मौर्य, डॉ रविनाथ, मो. इमरान, कल्याण पाण्डेय, शशि दर्शन त्रिपाठी, कुलदीप चौधरी, वर्षा पटेल आदि उपस्थित रहे।

"मुझे अखबार निकालने दो तो मै इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"—वेंडेल फिलिप्स

दैनिक
भारतीय बस्ती
बस्ती 31 मार्च 2024 रविवार

सम्पादकीय

सत्ता के समीकरण

चर्चित कहावत रही है कि प्रेम व युद्ध में सब कुछ जायज मान लिया जाता है। अब इसमें राजनीति को भी शामिल मान लिया गया है। सत्ता के समीकरणों के लिये राजनीति की मुख्यधारा में शामिल होने के बाद शुचिता का प्रमाणन हो ही जाता है। फिर एक विज्ञापन की तर्ज पर कहा जाता है कि ये दाग अच्छे हैं। ये स्थिति हाल—फिलहाल ही नहीं, देश के राजनीतिक परिदृश्य में दशकों से जारी रही है। राजनीतिक सुविधा के हिसाब से गुण—दोषों की व्याख्या की जाती रही है। कहावत भी है— समरथ को नहीं दोष गुसांईं। जैसे सबल व्यक्ति के दोषों को भी गुणों की तरह दर्शाया जाता है, वैसे ही राजनीति की मुख्यधारा में भी अवगुणों को गुण रूप में दर्शाने का विमर्श वक्त की हकीकत है। हाल फिलहाल के दौर में कई राजनेताओं के हृदय परिवर्तन और दल बदलने पर शुचिता के जुमले आम हैं। विपक्षी दल ऐसा ही कुछ सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल होने के आठ माह बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता प्रफुल्ल पटेल से जुड़े एक मामले में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट लगने के बाद कह रहे हैं। उनके अक्सर आरोप होते हैं कि राजनीतिक भयादोहन के लिये सरकारी एजेंसियों का उपयोग किया जाता रहा है। दरअसल, प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ एयर इंडिया व इंडियन एयरलाइन्स विलय मामले में विसंगतियों के खिलाफ सीबीआई ने रिपोर्ट दर्ज की थी। उल्लेखनीय है कि अजित पवार वाला एनसीपी घटक कुछ माह पूर्व राजग में शामिल हो गया थी। दरअसल, एयर इंडिया व इंडियन एयरलाइन्स विलय के समय प्रफुल्ल पटेल केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के पद पर थे। उसी दौरान एक मामले में उनके क्रियाकलापों को संदिग्ध बताया गया था। तब इस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के साथ ही प्रवर्तन निदेशालय ने भी उनसे पूछताछ की थी। उन पर मुनाफे वाले रूट्स के जरिये अपने एक मित्र को लाभ पहुंचाने का आरोप लगा था। उल्लेखनीय है कि दिल्ली की एक अदालत एक मामले में क्लोजर रिपोर्ट पर अगले माह के मध्य में विचार करेगी।

वहीं दूसरी ओर कर्नाटक में 'माइनिंग किंग' के नाम से चर्चित जनार्दन रेड्डी की भाजपा में वापसी भी चर्चाओं में है। कहा जा रहा है कि यह प्रसंग राजग के 'अबकी बार,चार सौ पार' की मुहिम का हिस्सा है। रेड्डी का इतिहास खासा विवादों में रहा है और उन्हें खनन की दुनिया का बड़ा खिलाड़ी कहा जाता है। उनका नाम एक बड़े अयस्क कदाचार मामले में जोड़ा जाता रहा है। इसके अलावा कई अन्य मामलों के चलते भाजपा ने कालांतर उनसे दूरी बना ली थी। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले कल्याण राज्य प्रगति पक्ष पार्टी बनाकर वे खुद भी विधानसभा पहुंचे थे और उनके भाई व अन्य पारिवारिक सदस्यों ने अच्छे—खासे वोट अपने इलाके में हासिल किये थे। अब जबकि राज्य में कांग्रेस सत्ता में है तो भाजपा ने जनाधार बढ़ाने के लिये रेड्डी की पार्टी में वापसी की राह सुनिश्चित की है। हालांकि, एक समय रेड्डी से बात करने से भी पार्टी के बड़े नेता कतराते थे, अब वे ही माइन्स किंग की वापसी को सुखद बता रहे हैं। उनकी अपनी—अपनी दलीलें हैं। यहां तक कि रेड्डी की पार्टी के शीर्ष नेताओं से भी मुलाकात हुई है। इस पर जनार्दन रेड्डी की दलील है कि उनका तो पार्टी में ही जन्म हुआ है, यह तो घर वापसी हुई है। राजनीतिक पंडित बता रहे हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में न केवल जनार्दन रेड्डी विधानसभा के लिये चुने गए थे बल्कि बेल्लारी विधानसभा सीट से भी उनकी पत्नी को एकमुश्त वोट मिले थे। इसके अलावा उनकी पार्टी के कई नेताओं को भी ठीक—ठाक वोट मिले थे। जाहिर है रेड्डी के पार्टी से बाहर रहने को भाजपा अपने वोट बैंक में बिखराव के तौर पर देख रही थी। दरअसल, जनार्दन रेड्डी बेल्लारी, कोप्पल व रायचूर लोकसभा क्षेत्रों में खासा प्रभाव रखते हैं। यही वजह है कि दागों को नजरअंदाज करते हुए उनकी वापसी हुई है। वैसे जनार्दन रेड्डी कभी बेल्लारी से चुनाव लड़ने वाली सुषमा स्वराज के करीबी लोगों के रूप में जाने जाते रहे हैं। वहीं येदियुरप्पा सरकार बनाने के दौर में आपरेशन लोटस में उनकी बड़ी भूमिका बतायी जाती रही है।

लोकसभा चुनाव और केजरीवाल की गिरफ्तारी

—उमेश चतुर्वेदी—

शराब घोटाले में केजरीवाल के पहले उनके दो स्तंभों पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं। उनकी जमानत की याचिकाएं खारिज हो चुकी है। दिल्ली शराब नीति घोटाले में दिल्ली से तीसरी बड़ी गिरफ्तारी केजरीवाल की हुई है। लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया जारी हो, इसी बीच किसी राज्य के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो और उस पर राजनीति ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है। दिल्ली के कथित आबकारी घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गिरफ्तार किया है। ईडी का दावा है कि इन गिरफ्तारियों के पीछे कोई राजनीति नहीं है। लेकिन राजनीति और लोक का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है, जो इन गिरफ्तारियों के पीछे राजनीति देख रहा है। मोदी विरोधी आईएनडीआईए गठबंधन में चूंकि केजरीवाल भी शामिल हैं, लिहाजा गठबंधन के नेता इन गिरफ्तारियों को सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक बताने—बनाने में जुट गए हैं। उनका एक ही सवाल है कि आखिर सिर्फ विपक्षी नेताओं को ही ईडी या सीबीआई निशाना क्यों बना रहे हैं? बार—बार ऐसा कहकर एक तरह से मोदी विरोधी मोर्चे के नेताओं की कोशिश यह है कि इन गिरफ्तारियों को भ्रष्टाचार की बजाय सिर्फ राजनीति का रंग दिया जाए और इसके जरिए मोदी विरोधी वोटों की फसल काट ली जाये।

लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसा संभव है? मोदी के उभार के बाद के दोनों संसदीय चुनावों में दिल्ली विधानसभा में अपार बहुमत रखने वाली आम आदमी पार्टी एक भी सीट हासिल नहीं कर पाई है। इस बार तो आम आदमी पार्टी ने उस कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया है, जिसके भ्रष्टाचार के विरोध में उसका समूचा अस्तित्व पनपता रहा। दिल्ली में लोकसभा की सात सीटें हैं, जिनमें तीन सीटों पर जहां कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, वहीं आम आदमी पार्टी चार सीटों पर मैदान में है। पिछले दो आम चुनावों में आम आदमी पार्टी की स्थिति तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई थी। गठबंधन करके कांग्रेस और आम आदमी पार्टी—दोनों ने उम्मीद लगा रखी है कि दो आम चुनावों से जारी दिल्ली में उनका सूखा शायद कम हो जाए। केजरीवाल की गिरफ्तारी के पहले तक ऐसा नहीं लग रहा था कि विगत के दो चुनावों से इतर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का इतिहास इस बार इतर होने जा रहा है। लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दोनों पार्टियों को सहानुभूति लहर उठने की उम्मीद है। उन्हें लगता है कि सहानुभूति की वजह से इस बार भारतीय जनता पार्टी के किले में सेंध लग सकती है।

शराब घोटाले में केजरीवाल के पहले उनके दो स्तंभों पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं। उनकी जमानत की याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। दिल्ली शराब नीति घोटाले में दिल्ली से तीसरी बड़ी गिरफ्तारी केजरीवाल की हुई है। इसी केस में भारत राष्ट्र समिति की नेता और पार्टी अध्यक्ष के. चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता भी गिरफ्तार हैं। केजरीवाल को गिरफ्तार करने से पहले ईडी ने नौ बार समन देकर उन्हें बुलाया। लेकिन हर बार वे ईडी के सामने जाने से बचते रहे। केजरीवाल का राजनीतिक अनुभव भले ही कम हो, लेकिन उनकी पैंतरेबाजी से साफ है कि राजनीति करने में वे पुराने से पुराने नेताओं पर भारी हैं। समन को अनदेखा करके एक तरह से वे इस मुद्दे को जिंदा रखने और इसके जरिए अपने लिए वोटरों की सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करते रहे। गिरफ्तारी के बावजूद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा ना देकर भी केजरीवाल राजनीति कर रहे हैं। ईडी की हिरासत से ही वे दिल्ली के लिए दो आदेश जारी कर चुके हैं। पहले में जहां उन्होंने दिल्ली की सीवर व्यवस्था दुरूस्त करने का आदेश दिया है, वहीं उनका दूसरा आदेश स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त रखना है। दिल्ली में विपक्षी भूमिका निभा रही भारतीय जनता पार्टी इस पर हंगामा कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से केजरीवाल को हटाने की मांग वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की गई। जिसे हाईकोर्ट ठुकरा चुका है। इसके बावजूद नैतिकता के आधार पर भाजपा केजरीवाल से इस्तीफे की मांग कर रही है। लेकिन केजरीवाल के खेमे के तर्क है कि संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अपने पद से इस्तीफा दे ही देना होगा। इस तर्क के सहारे केजरीवाल मुख्यमंत्री के पद पर जमे हुए हैं।

हिरासत से आदेश देना और उसका आम आदमी पार्टी द्वारा भरपूर प्रचार किया जाना दरअसल केजरीवाल के प्रति सहानुभूति हासिल करने की प्रक्रिया का ही विस्तार है। भारतीय समाज भावुक होता है। इस भावुकता का फायदा हर राजनीतिक दल अपने तईं उठाते रहे हैं। इसी अंदाज में केजरीवाल परिवार भी आगे बढ़ रहा है। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के भावुकताभरे बयान भी इसका ही उदाहरण हैं। दरअसल इन कदमों से आम आदमी पार्टी दिल्ली के लोगों को यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि जेल में रहते हुए भी आम आदमी पार्टी प्रमुख सिर्फ दिल्ली के ही बारे में सोच रहे हैं। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी की कोशिश इस बहाने सहानुभूति हासिल करना है।

इस बीच दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के एक बयान से दिल्ली सरकार की बर्खास्तगी को लेकर अटकलें तेज हो गईं। उपराज्यपाल ने यह कह दिया कि जेल से दिल्ली की सरकार नहीं चलने दी जाएगी। उपराज्यपाल के इस बयान के बाद आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिशों का जोरदार विरोध किया। वैसे माना यह जा रहा है कि यह विरोध भी आम आदमी पार्टी की रणनीति का ही हिस्सा है। ताकि केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को बर्खास्त कर दे। इससे केजरीवाल के पक्ष में जोरदार लहर उठ खड़ी होगी और मौजूदा आम चुनावों में आम आदमी पार्टी इसका फायदा उठा सकेगी।

वैसे भारतीय जनता पार्टी की ओर से केजरीवाल को दोषी बताने की खूब कोशिशें हो रही हैं। दिल्ली में विपक्षी दल होने के नाते उसकी यह जिम्मेदारी भी है। लेकिन यह भी सच है कि दिल्ली बीजेपी की यह कोशिश बहुत ज्यादा कामयाब नहीं है। दिल्ली का एक वर्ग ऐसा भी है, जो मानता है कि केजरीवाल को तंग किया जा रहा है। दिल्ली की बसों, मेट्रो आदि में ऐसी चर्चाएं सुनाई दे रही हैं। हालांकि एक तबका ऐसा भी है, जो मानता है कि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से उभरे केजरीवाल भी भ्रष्ट हो गए हैं। केजरीवाल के प्रति सहानुभूति रखने वाले में उस वर्ग के लोग ज्यादा हैं, जिन्हें दिल्ली सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का फायदा मिल रहा है। हालांकि दिल्ली की खस्ताहाल बसें, व्यवस्था की ढिलाई आदि के चलते केजरीवाल सरकार से नाराजगी रखने वाला भी एक वर्ग है। जो इस गिरफ्तारी को जायज ठहरा रहा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी को नाजायज बताने में जुटी कांग्रेस की स्थित सांप—छछूंदर जैसी हो गई है। लोग चुटकियां लेने से बाज नहीं आ रहे। लोगों का कहना है कि जिस कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बताते—बताते केजरीवाल ने नष्ट कर दिया, वह भी उसकी ईमानदारी की गारंटी दे रही है। यही वजह प्रहसन का बिंदु है, जिसकी वजह से दिल्ली के आम चुनावों में बीजेपी उम्मीद लगा सकती है। हालांकि इस प्रहसन के प्रभाव को कम करने की कोशिश में आम आदमी पार्टी ही नहीं, कांग्रेस भी प्राणपण से जुटी है। दिल्ली की काया पलटने वाली कांग्रेसी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित कभी कहा करते थे कि वे केजरीवाल से अपनी मां के अपमान का बदला जरूर लेंगे। वह संदीप दीक्षित भी अब केजरीवाल की गिरफ्तारी को गलत बताने लगे हैं। संदीप दीक्षित जैसों के बयानों को भाजपा के दिल्ली के लोकसभाई किले में सेंध लगाने की कोशिश का विस्तार मान सकते हैं।

दिल्ली के अपने छह सांसदों के टिकट भाजपा ने काट दिए हैं। सिर्फ मनोज तिवारी ही ऐसे हैं, जिन्हें तीसरी बार टिकट मिला है। भाजपा के इस कदम का आम आदमी पार्टी और कांग्रेस— दोनों भाजपा की नाकामी के रूप में दिखाने—जताने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मकसद यह है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उपजी सहानुभूति लहर को उभारते हुए भाजपा की नाकामी से जोड़ दिया जाए और उसका चुनावी फायदा उठाया जाए। दिल्ली में पांचवें दौर में 25 मई को चुनाव होना है। जिसमें काफी वक्त है। अभी तक तो कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान तक नहीं कर सकी है। ऐसे में चुनावी पानी की धार को लेकर फिलहाल कुछ कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन एक बात स्वीकार करनी होगी कि अगर केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सहानुभूति लहर बढ़ी तो दिल्ली का चुनावी इतिहास बदल सकता है। वैसे अब तक जैसी सहानुभूति है, उससे इतिहास बदलने की उम्मीद फिलहाल बेमानी है।—(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तम्भकार हैं)

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के खतरे और नियंत्रण

—दिनेश सी शर्मा—

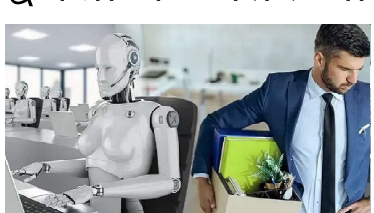

गूगल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चौटबॉट जैमिनी को लेकर मचे हो—हल्ले ने इस तकनीक, इससे संबंधित नियामक तंत्र और सरकार की भूमिका को लेकर कई महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर ध्यान खींचा है। एक व्यक्ति द्वारा इस चौटबॉट से प्रधानमंत्री और फासीवाद को लेकर पूछे सवाल का उत्तर शेयर करने के बाद सोशल मीडिया पर एआई टूल्स चर्चा का विषय बने हुए हैं। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने तुरत—फुरत कहा कि प्रधानमंत्री पर विशेष रूप से पूछे गए सवाल का जवाब पक्षपातपूर्ण है और यह आईटी कानून एवं अन्य कानूनों के मुताबिक गैर—कानूनी सामग्री को, माध्यम बने व्यक्तियों या प्लेटफार्म्स द्वारा शेयर करना, नियमों प्रावधानों का उल्लंघन है। मंत्री के इस उत्तर के बाद मंत्रालय का परामर्श प्रपत्र जारी हुआ, जिसमें कहा गया कि उपभोक्ता को अंडर—टेस्टिंग या गैर—भरोसेमंद एआई मॉडल्स एवं सॉफ्टवेयर मुहैया करवाने से पूर्व भारत सरकार से विशेष अनुमति लेना जरूरी होगा।

भारत में एआई और अन्य नवीनतम तकनीकों को लेकर नियामक तंत्र और व्यवस्था की अनुपस्थिति में, पहले मंत्री की प्रतिक्रिया और फिर परामर्श प्रपत्र जारी करने वाले उपाय को अधिक से अधिक, समस्या बनने पर आनन—फानन में किया जुगाड़भर कहा जा सकता है। नई—नई तकनीक से बनने वाली नवीन स्थितियों से निपटने को लेकर सरकारों का इतिहास खराब रहा है। तकरीबन आधा सदी पहले तकनीक विकास महानिदेशालय बनाया गया था। इसने विदेशी तकनीक की आमद पर एक अति शंकालु चौकीदार की भूमिका निभाई। यह विभाग 1960 के दशक में अमेरिकी कॉर्पोरेशनों द्वारा भारत में इलेक्ट्रॉनिकी का उत्पादन शुरू करने संबंधी अनुमतियों को खारिज करने के लिए उत्तरदायी है। जब 1980 के दशक में टेक्सास इंस्ट्रूमेंट नामक कंपनी ने बेंगलोर से सैटेलाइट्स के जरिए सॉफ्टवेयर निर्यात करना शुरू किया (उस वक्त यह एकदम नई चीज थी) तब भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने कहा कि जो कुछ भी भेजा जाए, उसका प्रिंटआउट जमा करवाया जाए, इस आधार पर कि कहीं राष्ट्र से संबंधित गुप्त सूचनाएं तो नहीं प्रेषित हो रही। प्रत्युत्तर में जो मिला, वह था 0 और 1 के रूप में बाइनरी इबारत से भरे कागजों का इतना बड़ा ढेर, जिससे कमरा भर जाए! वर्ष 1990 के दशक में, उद्योग मंत्रालय के एक बाबू ने वैक्सीन बनाने वाली एक कंपनी द्वारा लाइसेंस की अर्जी भारी उद्योग इंजीनियरिंग विभाग को विचारार्थ हस्तांतरित कर दी, क्योंकि उत्पादन विधि में 'जेनेरिक इंजीनियरिंग' प्रयुक्त किए जाने का जिक्र था! हमारी बाबूशाही की कार्यशैली को देखते हुए, कोई भी समझ सकता है कि गूगल, मेटा, एप्पल या ओपन एआई का भविष्य क्या होगा, जब वे अनुमति पाने में अपने एआई एलोरिदम का प्रिंटआउट आईटी मंत्रालय में बैठे बाबुओं को सौंपेंगे।

एआई को लेकर एकतरफा चलताऊ नीतिगत परामर्श प्रपत्र जारी करने की बजाय, नीतियां और नियामक धाराएं बनाने के विमर्श में, तमाम संबंधित पक्षों को शामिल करना जरूरी है। एआई पर विचार अब तक सिर्फ इसके बदलते स्वरूप या सामर्थ्य या नवोन्मेष एवं स्टार्टअप्स की तरक्की तक सीमित रहा है। उधर कंपनियां जितनी जल्दी हो सके, बाजार में नए—नए फीचर उतारना या फिर मौजूदा उत्पाद में नए फीचर डालना चाहती हैं। यदि उपभोक्ता को ऐसा मोबाइल फोन मिले, जिसमें इमेज रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर हो, तो जाहिर वह सेवा संबंधी शर्तों को पढ़ने की जहमत उठाए बिना इस्तेमाल करने को उतावला रहेगा। तकनीक ईजाद करने वाली कंपनियों को शिकायत है कि अतिशयी नियामक नियंत्रण उनके नवोन्मेष पर बुरा असर डालेगा। हालांकि जैमिनी वाले विवाद के बाद, संबंधित मंत्री ने साफ किया कि एआई पर जारी परामर्श नए स्टार्टअप्स पर लागू नहीं होगा।

एआई और विभिन्न क्षेत्रों में इसकी उपयोगिता के मद्देनजर, इस किस्म का चलताऊ रास्ता लेना, व्यापक सवालों को दरकिनार करता है। सवाल है, क्या हमें ऐसी एप्लिकेशंस (सॉफ्टवेयर) की जरूरत है जिसका इस्तेमाल करना ही पड़े या फिर जरूरत महसूस हो (कुछ विशेषज्ञ इसको मनुष्य—केंद्रित एआई का नाम देते हैं) या फिर वैसी एप्लिकेशंस विकसित करने की आवश्यकता है, जो हमारे व्यवहार में बदलाव करती हो या मानवीय एवं सामाजिक नियमों को भंग करती हों? डर है कि यदि एआई टूल्स का डिजाइन अंतिम छोर के उपभोक्ता के संदर्भों को सोच में रखे बगैर किया जाता है, तो कदाचित यह विकास क्रिया उपभोक्ताओं को लेकर बनी त्रुटिपूर्ण सोच अथवा पक्षपाती अनुमानों पर आधारित होगी। नियामक तंत्र बनाने का विचार करते वक्त नैतिकता, सामाजिकता, निजता और पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। लोगों में एआई तकनीक पर यथेष्ट समझ बने बिना और बगैर गहराई में उतरे, अनेकानेक क्षेत्रों में इसको तेजी से अपनाया जा रहा है। यहां तक कि सरकारी एजेंसियां भी निजता, पारदर्शिता और लोगों के मूल अधिकारों को ताक पर रखकर एआई तकनीकें अपना रही हैं। उदाहरणार्थ किसान आंदोलन में निगरानी के लिए ड्रोन और फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक का इस्तेमाल करना।

तकनीक और नियामक तंत्र के बीच दौड़ में, साथ के साथ सुधार करने की नियामक तंत्र की गति अक्सर धीमी पाई जाती है। विश्वभर में सरकारें और नियामक संस्थान एआई की चाल से कदमताल बनाए रखने को हाथ—पैर मार रहे हैं। अमेरिका में, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एआई बाबत कार्यकारी आदेश जारी किया है, जिसमें ध्यान सुरक्षा, निजता और पक्षपात इत्यादि विषयों पर केंद्रित है। जोखिमों का प्रबंधन करने में यह आदेश पहले की अपेक्षा अधिक पारदर्शिता और टेस्टिंग, टूल्स का मानकों पर खरा उतरने की अनिवार्यता पर जोर देता है। इसमें नई तकनीक जारी करने से पहले सघन परीक्षण करने की सलाह है ताकि दुरुपयोग करने वालों के लिए किन्हीं खामियों या सुरक्षा संबंधी चूकों का दोहन करने की गुंजाइश न रहे। वह एआई मॉडल्स, जिनसे राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक स्वास्थ्य को गंभीर खतरा बन सकता है, उनके निरापदता संबंधी परीक्षणों का परिणाम सरकार के साथ साझा करना होगा।

यूरोपियन यूनियन के एआई एक्ट में, जोखिम के स्तर के मुताबिक विभिन्न नियम रखे गए हैं। उच्च—जोखिम वर्ग में वे एआई एप्लिकेशंस हैं, जिनसे सुरक्षा या मूल अधिकारों पर नकारात्मक असर पड़ता हो। अस्वीकार्य जोखिम में वे आते हैं जिन्हें खतरनाक माना जाए और इनको किसी भी सूरत में अनुमति नहीं मिलेगी। इस वर्ग में, लोगों के बोध—व्यवहार को बदलने वाली या विशेष जोखिमजदा समूह, सामाजिक गिनती (आचार—व्यवहार अथवा आर्थिक सामर्थ्य इत्यादि पर) आधारित बायोमीट्रिक पहचान और नागरिकों का वर्गीकरण करना, वास्तविक समय में या फिर दूर बैठकर बायोमीट्रिक प्रणाली जैसे कि फेशियल रिकॉग्निशन इत्यादि एआई एप्लिकेशंस का उपयोग शामिल हैं। मौजूदा लोकप्रिय सामान्य उपयोग की और जेनेरिटिव एप्लिकेशंस जैसे कि चौटजीपीटी को भी पारदर्शिता आवश्यकताओं पर खरा उतरना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि इनसे गैर—कानूनी सामग्री और कॉपीराइट प्राप्त डाटा प्रकाशित न होने पाए। सीमित जोखिम वर्ग की एआई एप्लिकेशंस को भी अपेक्षाकृत नरम, किंतु पारदर्शी नियमों का पालन करना होगा। एआई को लेकर भारत को तीन चीजें करने की जरूरत है। प्रथम, एक चुस्त नीति और नियामक तंत्र की स्थापना, जिसका ध्यान न केवल सामर्थ्य बल्कि जोखिमों पर भी केंद्रित हो। इसके लिए सभी संबंधित पक्ष, मसलन, तकनीक ईजाद करने वाली कंपनियां, समाज शास्त्री, सिविल सोसायटी, उपभोक्ता और नीति—नियंताओं की सलाह को खुले और पारदर्शी ढंग से शामिल किया जाना जरूरी है।

चुनौती बनता मानसिक अवसाद

—सीमा अग्रवाल—

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य का अर्थ केवल बीमारी न होना और शारीरिक सेहत से नहीं होता बल्कि स्वास्थ्य सामाजिक, मानसिक और शारीरिक तीनों से जुड़ा है। इन तीनों में जहां भी व्यक्ति कमजोर है वहां वह अस्वस्थ माना जाता है, उसे सेहतमंद नहीं कह सकते। अच्छी सेहत वाला व्यक्ति वह है जो इन सभी मानकों पर खुश है और हर स्तर पर अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है। जो जीवन में सामान्य तनावों का सामना करने में सक्षम है। उत्पादक तरीके से काम करता है। अपने समुदाय में योगदान देने में तैयार है। दरअसल मानसिक स्वास्थ्य का संबंध इंसान के भावनात्मक पहलू से है जो उसके सोचने, समझने, कार्य करने की शक्ति को प्रभावित करता है। यूं तो मानसिक विकार कई तरह के होते हैं। मसलन डिमेंशिया, तनाव, चिंता, भूलना, अवसाद, डिस्लेसिया आदि। लेकिन इन सभी में अवसाद ऐसा मनोविकार है जिससे पूरी दुनिया त्रस्त है। हर आयु, वर्ग का व्यक्ति आज मानसिक अवसाद के दौर से गुजर रहा है। इस अवसाद के तमाम कारण सामने आ रहे हैं।

डब्ल्यू.एच.ओ. के अनुसार पिछले एक दशक में तनाव और अवसाद के मामले में 18 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। भारत की करीब 6.5 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत आबादी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी मैंटल हैल्थ के मुद्दे के प्रति न्यायपालिका को संवेदनशील होने पर जोर देते हुए कहा कि किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को वनसाइज फिट फॉर ऑल के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। अच्छी मैंटल हैल्थ हर व्यक्ति का मानवाधिकार है, जिससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता। गौरतलब है कि मैंटल स्ट्रैस अनुवांशिक, सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक हर तरह की हो सकती है। इस अवस्था से किसी इंसान को बाहर निकालना आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती है। जिससे डॉक्टर और एक्सपर्ट्स भी परेशान हैं।

देखा गया है कि कई बार प्रारंभिक जीवन के बुरे अनुभव, हादसे और घटनाएं मन को इतना प्रभावित करती हैं कि उनके असर से इंसान मानसिक तौर पर बीमार हो जाता है। ये मनोविकार और नकारात्मकता उसके मन और सेहत दोनों को खराब करती जाती है। मानसिक अवसाद का बड़ा कारण बेरोजगारी और गरीबी भी है। 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो आंकड़े बताते हैं कि मानसिक रोगों से ग्रस्त करीब 78.62 प्रतिशत लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। आज युवाओं में बढ़ते आत्महत्या के मामले भी इसकी पुष्टि करते हैं। कि बेरोजगारी से परेशान युवा इस कदर मानसिक नकारात्मकता के दौर से गुजर रहे हैं कि वो सुसाइड जैसा गंभीर कदम उठाने को मजबूर हैं। ये आंकड़े इशारा करते हैं कि युवाओं में तेजी से मानसिक अवसाद फैल रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार जब किसी देश की आध्थक हालत गंभीर होती है तो वहां मानसिक अवसाद भी बढ़ जाता है।

डब्ल्यू.एच.ओ. ने 2013 में मानसिक स्वास्थ्य को शारीरिक स्वास्थ्य के बराबर महत्व देते हुए वर्ल्ड हैल्थ एसैंबली में एक व्यापक मानसिक स्वास्थ्य कार्ययोजना को मंजूरी दी थी। जो 2013—2020 तक के लिए थी। इस कार्ययोजना में सभी देशों ने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की कसम खाई थी। भारत ने भी इस कार्य योजना को अपने यहां लागू किया था।

चाय बनाते समय गैस सिलेंडर फटा, मां और तीन बच्चों की मौत

संवाददाता—देवरिया। जिले के भलुअनी कस्बे के भगत सिंह वार्ड में शनिवार को तड़के चाय बनाते समय गैस सिलेंडर में विस्फोट हो गया। घटना में मां और तीन बच्चों की मौत हो गई। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। डीएम–एसपी समेत जिले का आला अधिकारियों में मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया है।

भगत सिंह वार्ड में भलुअनी डुमरी मार्ग पर शिव शंकर गुप्ता टीन शेड डालकर परिवार सहित रहते हैं। सुबह करीब 5:30 बजे पत्नी आरती को चाय बनाने की बात कह कर फ्रेश होने चले गए। आरती चाय रखकर घर का काम निपटाने लगी। इसी बीच गैस रिसाव के चलते घर में आग लग गई। आरती बच्चों को जगा कर जब तक बाहर निकलती सिलेंडर फटने से तेज विस्फोट हो गया।

घटना में पूरा घर मलबे में तब्दील हो गया। इस हादसे में आरती (40), उसकी बड़ी बेटी आंचल (14), बेटा कुंदन (12) और सृष्टि 11 माह की दर्दनाक मौत हो गई। आग बुझाने के बाद सभी के शव मलबे से बाहर निकाले गए।

जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा, उपजिलाधिकारी दिशा श्रीवास्तव, सीओ आदित्य गौतम मौके पर मौके पर पहुंचे है। पुलिस प्रशासन राहत कार्य में जुटा है। घटना के बाद पूरे कस्बे में दहशत का माहौल पसर गया। विस्फोट इतना तेज था की उसकी आवाज एक किमी तक सुनाई दी। मृतकों के शरीर भी क्षत विक्षत हो गए। मलबे से निकालने के बाद शवो को पहचानना मुश्किल हो गया था। सृष्टि का शव तो घर के बाहर बालू के ढेर में पड़ा था।

उमेश हत्या कांड में दो को आजीवन कारावास, दो बरी

संवाददाता—बलरामपुर। वर्ष 2014 में हुए नगर के बहुचर्चित उमेश प्रताप हत्याकांड के मामले में जनपद न्यायालय ने दो लोगों आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं दो अन्य आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिए गए हैं। दोषियों को डेढ़–डेढ़ लाख रुपए जुर्माना अदा करना होगा। जिसमें से दो लाख रुपए मृतक की पत्नी को मिलेगा। जुर्माना न अदा करने पर दोषियों को एक–एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। सरकारी अधिवक्ता फौजदारी नरेन्द्र प्रताप पाण्डेय ने बताया कि 12 अक्टूबर 2014 को ममता सिंह पत्नी उमेश प्रताप सिंह निवासिनी मोहल्ला सिविल लाइन कोतवाली नगर बलरामपुर ने प्राथमिकी दर्ज कराई। आरोप लगाया कि रात साढ़े सात बजे वह अपने सिविल लाइन स्थित आवास के छत की बालकनी पर खड़ी थीं। उनके साथ उनके देवर विशाल व सास भी मौजूद थीं। ममता सिंह के पति उमेश प्रताप सिंह घर का सामान लेकर नीचे दरवाजे के पास पहुंचे थे। तभी एक मोटर साइकिल से तीन व्यक्ति पहुंचे और उन्होंने उनके पति को सीने से सटाकर गोली मार दी। ममता ने तहरीर में कहा कि रघुराज पुत्र छोटेलाल निवासी बंजारीबाग मोटरसाइकिल चला रहा था। उनके भाई विष्णु चौहान बीच में बैठे थे। तीसरे व्यक्ति को वह नहीं पहचानती थी। उमेश की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस के साथ–साथ मामले की विवेचना सीबीसीआईडी से भी कराई गई। जिसमें सीबीसीआईडी ने विष्णु चौहान, रघुराज, नंदलाल, राजेश व उमानाथ के खिलाफ हत्या के मामले में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता नरेन्द्र प्रताप पाण्डेय ने गवाहों के बयान दर्ज कराए। वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता राज कुमार त्रिपाठी ने रंजिश फंसाए जाने की बात कही। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला जज ने रघुराज व राजेश चौहान को हत्या के मामले में शुक्रवार को दोष सिद्ध करार दिया था। वहीं विष्णु चौहान व नंदलाल को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था। शनिवार को आए फैसले में रघुराज व राजेश चौहान को आजीवन कारावास के साथ–साथ डेढ़–डेढ़ लाख रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।

कुछ शर्तों के साथ किसानों को मिलेगी फ्री बिजली

संवाददाता—बहराइच। निजी नलकूप चलाने वाले किसानों को बिजली बिल माफी को लेकर राहत मिल गई है। शासनादेश का इंतजार था जो आ गया है अब अधिकारी उस शासनादेश के हवाले से होमवर्क कर रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक कुछ मामलों में कुछ शर्तों के साथ किसानों को निजी नलकूप चलाने में फ्री बिजली मिलेगी। इसमें कुछ शर्तों में निजी नलकूप संचालकों के लिए प्रतिमाह 140 यूनिट चलाने वाले शामिल हैं। साथ ही प्रत्येक नलकूप संचालक किसान को अपने नलकूप पर मीटर अवश्य लगवाना होगा। मार्च 2023 तक का बिल बकाया जमा करना होगा। उसके साथ–साथ घरेलू कनेक्शन का बिल भी समय से जमा करना होगा। किसानों को संबंधित विद्युत उपकेंद्र पर 140 यूनिट फ्री बिजली लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। अधिशासी अभियंता विद्युत द्वितीय शैलेन्द्र सिंह राजपूत के मुताबिक कुछ शर्तों के साथ सभी नियमों का पालन नलकूप संचालक किसानों को करना होगा। सरकार की घोषणा के बावजूद भी साल भर से निजी नलकूप के बिल आ रहे हैं । माफी की आस से अधिकांश किसानों ने निजी नलकूपों का बिल जमा नहीं किए थे। किसानों को बिजली बिल माफी की आस लगी हुई थी। यह उम्मीद पूरी हो गई।

कालेज के लापरवाही से विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित

संवाददाता—गोण्डा। शनिवार को क्षेत्र के एक दर्जन से अधिक छात्रों ने जिलाधिकारी नेहा शर्मा से मिलकर छात्रवृत्ति की समस्या को लेकर प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। छात्रों ने प्रार्थनापत्र में जिलाधिकारी को अवगत कराया गया है कि क्षेत्र में स्थित मां गायत्री मंगला देवी पाण्डेय स्मारक महाविद्यालय सोठिया के प्राचार्य व प्रबंधक की लापरवाही से लगभग छात्रवृत्ति से वंचित हैं। उनका आरोप है कि करीब 200 से अधिक छात्र–छात्राओं ने छात्रवृत्ति का फार्म भरा था। कालेज की लापरवाही की वजह से इसे फारवर्ड नहीं किया गया। इससे आगे की पढ़ाई पर संकट मंडरा रहा है। शिकायत करने वालों में छात्र मोहित पांडे, अमित कुमार, नौनीत पाड्डेय, सर्वेश मौर्य, ललित यादव, अभिषेक, सूरज, रितेश, सचिन आदि शामिल हैं। छात्रों ने बताया कि जब महाविद्यालय के प्राचार्य अनिल पाडेय से पूछा गया तो उन्होंने इस बात को अनदेखा कर दिया और कुछ भी जवाब नहीं दिया। उधर, इस संबंध में प्राचार्य अनिल कुमार पांडेय ने बताया कि करीब 400 बच्चों की छात्रवृत्ति नहीं आई है। सर्वर प्रॉब्लम की वजह से दिक्कत हुई हैं। इसमें विद्यालय प्रबंधन की कोई लापरवाही नहीं है, आरोप निराधार हैं।

मिहींपुरवा के लौकाही में हुआ भारत- नेपाल का होली मिलन

संवाददाता—बहराइच। भारत– नेपाल सीमा पर स्थित मिहींपुरवा विकास खण्ड के ग्राम लौकाही में सीमावर्ती जिले के सामाजिक कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में भारत नेपाल मैत्री होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम आयोजन समिति की सदस्य बालिकाओं ने नेपाल से आए अतिथियों का तिलक चंदन तथा रामनामी पटका पहनकर कार्यक्रम में स्वागत किया।

कार्यक्रम की शुरुआत नेपाल से आये समाजसेवी राजेन्द्र यादव व सुभाष पोखरेल तथा भारतीय समाजसेवी कृष्णा नन्द शुक्ल, अमरनाथ, बाबूलाल शर्मा, पिन्टू मौर्य, हुकुम चन्द वर्मा आदि ने सामूहिक रुप से नेपाल के राष्ट्र पुरुष श्री पांच बड़ा महाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाह व भारतीय इतिहास के वीर योद्धा महाराणा प्रताप के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। होली मिलन महोत्सव कार्यक्रम में दोनों देशों के क्षेत्रीय कलाकारों ने थारू नृत्य व सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति किया। लोक गायिका मांडवी तिवारी ने स्वागत गीत, लोकगीत, होली गीत सहित कई मनमोहक कार्यक्रम प्रस्तुत किया।

नेपाल से आए समाजसेवी राजेंद्र यादव व सुभाष पोखरेल ने भारत व नेपाल के संबंधों वी साझा संस्कृति पर अपने विचार रखे। भारतीय समाजसेवी कृष्णानंद शुक्ला ने कहा कि नेपाल से भारत का रोटी– बेटी का संबंध है, जो आदिकाल से चला आ रहा है। हम सबके आराध्य भगवान राम की ससुराल नेपाल के जनकपुर में थी जो रिश्ता आज भी कायम है। संचालन राजेश गुप्ता ने किया। कार्यक्रम में मनीराम थारू, वीर बहादुर थारू, जीत बहादुर, पवन सोनकर, अनिल गुप्ता, संतोष विश्वकर्मा, नवीन सिंह, रोहित गुप्ता, सुरज गुप्ता आदि कार्यकर्ताओं व लौकाही व्यापार मंडल के ज्वाला यादव आदि व्यापारियों का सराहनीय योगदान रहा।

सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक नियमित खुलें क्रय केन्द्र- डीएम

संवाददाता—श्रावस्ती। जिलाधिकारी कृतिका शर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में गेहूं खरीद के सम्बन्ध में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक नियमित क्रय केन्द्र खुलें।

कार्यशाला में डीएम ने कहा कि क्रय केन्द्रों पर किसानों के लिए बैठने के लिए छाया, पेयजल, केन्द्र पर आवश्यक सूचनाओं एवं बैनर, किसी पंजिका, मजदूर पंजिका, बोरों की व्यवस्था, ई–उपार्जन के लिए लैपटाप, इलेक्ट्रानिक कांटा, नमीमापक यंत्र, छलना पावर डस्टर एवं अन्य सभी मूलभूत सुविधाएं मौजूद रहें। उन्होंने कहा कि गेहूं क्रय केन्द्र के खुलने का समय प्रातः 09 बजे से सायं 06 तक निर्धारित किया गया है। इस बीच सभी केन्द्र प्रभारी मौजूद रह कर खरीदारी करें। गेहूं क्रय केन्द्रों पर गेहूं का समर्थन मूल्य 2275 रुपये प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है, जो गत वर्ष की भांति 150 रुपये प्रति अधिक है। इसके अलावा पल्लेदारी के मद में किसानों की ओर से दिये गए 20 रुपये प्रति कुन्तल का भुगतान समर्थन मूल्य के साथ उनके बैंक खाते में किया जायेगा। जनपद में इस वर्ष गेहूं क्रय का लक्ष्य 34,000 मीटरी टन रखा गया है।

जिलाधिकारी ने किसानों से अपील किया है कि गेहूं बेचने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन अपने नजदीक के जन सुविधा केन्द्रों पर जाकर करा लें। अथवा यूपी किसान मित्र एप डाउनलोड कर रजिस्ट्रेशन कराएं। इससे गेहूं बेचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों व केन्द्र प्रभारियों को निर्देश दिया है कि क्रय केन्द्र पर आने–जाने का रास्ता एवं वाहनों के पार्किंग के लिए भी पर्याप्त स्थान होना चाहिए ताकि किसानों को कोई असुविधा न होने पाये। बैठक का संचालन जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी नरेन्द्र कुमार मिश्र ने किया।

शिक्षा सत्र के अंतिम दिन छात्रों को मिला अंकपत्र

संवाददाता—श्रावस्ती। शिक्षा सत्र के अंतिम दिन शनिवार को स्कूली छात्रों को अंक पत्र वितरित किया गया। इसके साथ ही मेधावी छात्रों को मेडल भी दिया गया। गुरुजनों ने छात्रों के उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद दिया। शनिवार को अनंता पब्लिक स्कूल इकौना में अंक पत्र एवं पुरस्कार वितरण का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि वासुदेव पाण्डेय स्कूल के संस्थापक व स्कूल की प्रबंधक श्रीमती मीरा पाण्डेय तथा प्रधानाचार्य अनिल राव ने मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित व दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान वासुदेव पाण्डेय ने कहा कि शिक्षा सभी के लिए आवश्यक है। अभिभावकों को चाहिए कि वह अपने बच्चों का नजदीकी और अच्छे स्कूल में नामांकन जरूर करायें। इसके बाद कार्यक्रम में कक्षावार मेधावी छात्र का सम्मान, विद्यालय के सबसे उत्कृष्ट छात्र का सम्मान, स्कूल के सबसे साफ सुथरे छात्र का सम्मान, कक्षावार सबसे अधिक उपस्थिति के छात्र का सम्मान करते हुए अंक पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया। इसमें सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को अंक पत्र के साथ ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया गया।

प्लाटिंग कर रहे लोगों ने सामने लगे देव वृक्ष को काटा, सात के खिलाफ मुकदमा दर्ज

संवाददाता—बहराइच। जमीन की प्लाटिंग कर रहे लोगों ने सामने लगे सरकारी जमीन पर पीपल के वृक्ष को काट दिया। एक सामाजिक कार्यकर्ता की शिकायत पर सात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जमीन खरीद कर प्लाटिंग कर रहे लोगों ने प्लाट के सामने सरकारी जमीन पर लगे पीपल के हरे भरे पेड़ की मोटी– मोटी डाल काटकर उसके चारों तरफ जेसीबी से खोद दिया। एक सामाजिक कार्यकर्ता की शिकायत पर वन विभाग ने जांच कराई। मामला सही पाए जाने पर सात लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है।

बहराइच जिले के कैसरगंज थाना क्षेत्र के बहराइच लखनऊ हाईवे मार्ग पर एक स्कूल के बगल सरकारी जमीन पर पीपल का वृक्ष लगा था। कुछ लोग वहां पर जमीन खरीद कर उसकी प्लाटिंग कर रहे थे। पीपल का वृक्ष इतना विशालकाय था कि उसकी मोटी– मोटी डाल प्लांट तक फैली थी। प्लाटिंग की जमीन के आगे सरकारी जमीन पर लगे पीपल के पेड को प्लाटिंग कर रहे भूमाफियाओं ने कटवा डाला। सामाजिक कार्यकर्ता की शिकायत पर वन क्षेत्राधिकारी ने दरोगा को भेजकर जांच करवाई। वन दरोगा की तहरीर पर सात लोगों के खिलाफ गम्भीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता राजेश श्रीवास्तव ने पीपल के पेड की मोटी– मोटी डालों को काटे जाने की शिकायत मुख्यमंत्री समेत जिले के उच्चाधिकारियों से की। वन क्षेत्राधिकारी कैसरगंज अभिषेक सिंह ने वन दरोगा राम विनोद यादव को भेजकर जांच करायी। जांच में पता चला कि पीपल के पेड के पीछे की जमीन फखरुद्दीन पुत्र सहाबुद्दीन निवासी होली पुरवा हुजूरपुर क्रय कर प्लाटिंग का कार्य करा रहे हैं। इन्होंने अपने सहयोगी इम्तियाज अंसारी और साजू उर्फ फिरोज हुसैन समेत पांच अन्य व्यक्तियों के साथ जान बूझकर पीपल के मोटी मोटी शाखाओं को काट दिया।

वन क्षेत्राधिकारी कैसरगंज अभिषेक सिंह ने बताया कि वन दरोगा राम विनोद यादव की तहरीर पर कैसरगंज थाने में फखरुद्दीन पुत्र सहाबुद्दीन निवासी होली पुरवा पुरैनी हुजूरपुर, इम्तियाज अंसारी सहित पांच अज्ञात के खिलाफ चोरी से पेड काटना, सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान अधिनियम की धारा 3 व 4 तथा भारतीय वन अधिनियम की धारा 30 व 33 की धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है।

प्रशिक्षण में निःशक्त बच्चों को पढ़ाने के बताए तौर तरीके

संवाददाता—बलरामपुर। समावेशी शिक्षा के तहत बीआरसी उतरौला में आयोजित द्वितीय चरण में नोडल शिक्षकों का पांच दिवसीय प्रशिक्षण का समापन शनिवार को हो गया। 64 परिषदीय विद्यालयों के नोडल शिक्षकों ने प्रशिक्षण में प्रतिभाग किया। प्रशिक्षक सुमन त्रिपाठी, शैलेश कुमार पाण्डेय व शाह मोहमद ने समावेशी शिक्षा को विद्यालयों में प्रभावी बनाए जाने व विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ाने पर विधिवत चर्चा की गई। इसके अलावा शिक्षकों को निःशक्तता के प्रकार, विभिन्न प्रकार के निरुशक्तता के कारण, समावेशी शिक्षा के उद्देश्य, निरुशक्त बच्चों के लिए कक्षा समायोजन सहित अन्य महत्वपूर्ण बातों की जानकारी दी।

दोनों चरणों का दस दिवसीय ऑफलाइन प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है। अब इन्ही नोडल शिक्षकों को 80 दिन का ऑनलाइन प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा। खंड शिक्षाधिकारी सुनीता वर्मा ने कहा कि शारीरिक रूप से निःशक्त बच्चे भी सामान्य बच्चों की तरह शिक्षा हासिल कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ें।इसके लिए सरकार की ओर से समावेशी शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके तहत सभी विद्यालयों में एक–एक शिक्षक को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को बेहतर तरीके से शिक्षा प्रदान कर सकें। बीईओ ने प्रशिक्षण हासिल करने वाले शिक्षकों को प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त अनुभव व जानकारी को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण कार्य में सदुपयोग करने की सलाह दी। इस मौके पर शहनाज बानो, ब्रजेश चौधरी, श्रवण कुमार, मोहम्मद उस्मान, काजिम अली, मोहम्मद असलम, रविकांत चौधरी, साजिद इमाम, मनोज जायसवाल, हसन इमाम, संजय कुमार, अमरनाथ मौर्य, सुनीता देवी सुमित अन्य शिक्षक मौजूद रहे।

हर साल बदल जाती हैं किताबें, बढ़ा दी जाती है फीस

संवाददाता—श्रावस्ती। एक अप्रैल से नवीन शैक्षिक सत्र का आगाज हो जाएगा। बच्चों के प्रवेश के लिए स्कूलों व दुकानों पर अभिभावकों की भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है। निजी स्कूलों में फीस के साथ किताबों के दामों में बढ़ोत्तरी अभिभावक को परेशान कर रही है। पढ़ाई की फीस व कांपी किताब में अभिभावकों का सारा बजट बिगड़ जा रहा है। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में कक्षा नर्सरी से लेकर कक्षा आठ तक निजी स्कूलों का जाल फैला हुआ है। नये सत्र की शुरुआत हो रही है और करीब करीब सभी स्कूलों में बच्चों के दाखिले हो रहे हैं। दाखिला से लेकर शिक्षण शुल्क, ड्रेस, किताब के नाम पर अभिभावकों से मनमाना दाम वूसला जा रहा है। कई स्कूलों में शुल्क बढ़ा दिए गए हैं तो वहीं किताबें भी बदल दी गई हैं। कुछ स्कूलों में ड्रेस तक बदल दिया गया। जिसे लेकर अभिभावकों की चिंता भी बढ़ गई है। शिक्षण शुल्क भी 300 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक है जो अलग अलग स्कूलों में अलग अलग शुल्क निर्धारित है। संचालक स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबों की जगह निजी प्रकाशकों की पुस्तकों को खरीदवा रहे हैं। ऊपर से किताबों के दाम आसमान छू रहे हैं। अधिकतर स्कूलों में पिछले साल की अपेक्षा इस बार किताबों के दाम 10 से 15 प्रतिशत बढ़ चुके हैं।

निजी स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबों की जगह निजी प्रकाशकों की किताबें चलाई जाती हैं। जिसमें स्कूल संचालकों का मोटा कमीशन होता है। शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले ही स्कूलों में दुकानदारों के आने जाने की होड़ लग जाती है। स्कूल संचालक दुकानदारों से कमीशन तय करते हैं जो अधिक कमीशन देने को तैयार होता है उसी की दुकान तय कर दी जाती है और अभिभावकों से किताबें उसी दुकान से खरीदवाई जाती हैं। संचालक छात्र संख्या के अनुसार किताब दुकानदारों से पहले ही लाखों रुपये कमीशन के रूप में ले लेते हैं। किताबों के साथ ही दुकानदार जरूरत से अधिक कांपी, जिल्द, पेन आदि खरीदने को मजबूर करते हैं जिसमें अभिभावकों को जेबें ढीली करनी पड़ती है। किताब के साथ ही ड्रेस में भी संचालकों का कमीशन होता है।

विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों को मिला प्रशिक्षण

संवाददाता—बहराइच। समग्र शिक्षा अभियान के तहत परिषदीय विद्यालयों की विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों के लिए शनिवार को ब्लॉक सभागार में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित प्रशिक्षण में विद्यालय के विकास और बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में विद्यालय प्रबंध समिति की भूमिका विषय पर प्रशिक्षण दिया गया। मुख्य अतिथि खण्ड विकास अधिकारीअमन वर्मा रहे। आयोजक बीईओ जरवल अरविंद बहादुर सिंह ने मौजूद सदस्यों से परिषदीय विद्यालयों में गठित प्रबन्ध समिति के मूल कार्यों, दायित्वों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने विद्यालय विकास की योजनाएं बनाकर विभाग की ओर से जारी धनराशि का सदुपयोग करने की सलाह भी दी। मुख्य अतिथि ने सुझाव दिया कि जब तक एसएमसी के सदस्य अपने कार्य और दायित्व के प्रति सक्रिय नहीं होंगे, तब तक विद्यालय के बच्चे कक्षा के लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकेंगे। प्रशिक्षण एआरपी कल्पना मिश्र, मो. अहमद, रियाज अहमद, अब्दुल मोमिन की ओर से प्रतिभागियों को एक अप्रैल से शुरू होने वाले नये सत्र में छह से 14 आयु वर्ष के सभी बालक बालिकाओं के शत–प्रतिशत नामांकन व उनकी रोजाना उपस्थिति सुनिश्चित करने मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता परखने समेत विद्यालय की संपत्ति की देखरेख आदि सुनिश्चित कराने का कर्तव्यबोध कराया गया।

झील, पहाड़ व औषधियुक्त पौधों के बारे में छात्रों ने किया अध्ययन

संवाददाता—बलरामपुर। राष्ट्रीय विज्ञान आविष्कार के तहत उतरौला व गैड़ास बुजुर्ग के परिषदीय विद्यालयों के बच्चों को एक दिवसीय शैक्षिक भ्रमण के लिए एसडीएम हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया। बीईओ उतरौला सुनीता वर्मा व गैड़ास बुजुर्ग के विनय कुमार चौधरी ने बच्चों के साथ जाने वाले अध्यापकों का मार्गदर्शन किया।

एसडीएम अवधेश कुमार ने कहा कि शैक्षिक भ्रमण से छात्र–छात्राओं का बौद्धिक विकास होता है। बीईओ सुनीता वर्मा ने कहा कि विज्ञान की नयी जानकारियां भविष्य में बच्चों के लिए लाभदायक सिद्ध होंगी। इससे बच्चों में ऊर्जा, क्षमता व उत्साह बढ़ता है। बीईओ विनय कुमार चौधरी ने कहा कि बच्चों को शिक्षा के साथ–साथ ऐतिहासिक व दार्शनिक बढ़ावा मिलता है। उन्होंने शिक्षकों को छात्र–छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए विशेष ध्यान देने की बात कही। शैक्षिक भ्रमण के दौरान छात्रों को बजाज चीनी मिल श्रीदत्तगंज, भगवान बुद्ध की धरती श्रावस्ती, नेपाल से सेट कोयलाबास व भगवानपुर बांध का शैक्षिक भ्रमण कराया गया। प्रकृति की खूबसूरत वादियों का छात्रों ने जमकर लुफ्त उठाया। भ्रमण के दौरान टीम ने सर्व प्रथम बच्चों को बजाज चीनी मिल का भ्रमण कराया। बच्चों को गन्ना से चीनी बनाए जाने व उसके अवशेष से खाद तैयार करने सहित मशीनरी उपकरणों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इसके बाद भ्रमण दल भगवानपुर बांध पहुंचा जहां पर बच्चों को जल स्रोतों से बनाए गई झील का भ्रमण कराया। जहां पर उन्हें झील से खेतों को सिंचाई के साथ उसके फायदे एवं पड़ोसी राष्ट्र से जिले को झील से होने वाली सुरक्षा के बारे में जानकारी दी गई। इसी तरह कोयलाबास में इंडो नेपाल बॉर्डर के साथ पहाड़ व झरने का भ्रमण कराकर छात्रों को विभिन्न प्रकार के औषधि युक्त पेड़–पौधों के बारे में अध्ययन कराया गया। परिषदीय बच्चे जंगल, पहाड़, झरना व झील देखकर खुशी से झूम उठे। इस मौके पर गार्गी गुप्ता, मोहम्मद असलम, कुलदीप कुमार प्रेमी, रविकांत चौधरी, रत्नदीप कुमार श्रीवास्तव, शमा खान, मोहम्मद जमाल अहमद, जितेंद्र कुमार सुमित अन्य शिक्षक दल में मौजूद रहे।

बिना लाइसेंस आरामशीन चलाने की शिकायत

संवाददाता—गोण्डा। भटपुरवा में बिना लाइसेंस के अवैध रूप से आरा मशीन संचालित किया जा रहा है। जिसकी शिकायत राम आश्रेबर पाण्डेय, बीरेन्द्र कुमार तिवारी सहित दर्जनों लोगों ने विभागीय अधिकारियों से करते हुए जांच व कार्रवाई की मांग की। विकासखंड रुपईडीह के ग्राम पंचायत गौसिहा के मजरा भटपुरवा में बिना लाइसेंस के अवैध रूप से आरा मशीन संचालित किया जा रहा है। इस वजह से पेड़ों पर आरा चला कर लकड़ी आरा मशीन पर पहुंचा दी जाती है। इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। ऐसी स्थिति में इसकी शिकायत क्षेत्र के राम आश्रेबर पांडेय, बीरेंद्र कुमार तिवारी सहित एक दर्जन से अधिक लोगों ने विभागीय अधिकारियों से करते हुए जांच व कार्रवाई की मांग की। इस संबंध में वन क्षेत्राधिकारी दुर्गेश मिश्रा ने बताया कि इसकी जानकारी हमें नहीं है । क्षेत्र में बिना लाइसेंस के कोई भी आरा मशीन चलने नहीं दिया जाएगा। अगर अवैध आरा मशीन चने की शिकायत मिली तो मामले की जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

70 गुना अधिक मिलता है रमजान में हर नेक काम का सवाब

संवाददाता—बलरामपुर। समाजसेवी शिक्षक सिराजुद्दीन व दवा कारोबारी रफीउद्दीन राजू ने अपने आरा मशीन के पास रोजा इफ्तार का आयोजन किया। मौलाना फरीद ने कहा कि रमजान में हर नेक काम का सवाब (पुण्य) अन्य दिनों की अपेक्षा रमजान माह में 70 गुना ज्यादा मिलता है।

मौलाना फरीद ने कहा कि कुरान शरीफ में अल्लाह तआला फरमाता है कि तुम्हारे ऊपर रोजे को फर्ज किया। जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर भी इसे फर्ज किया था ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। परहेजगारी का मतलब बुराइयों से पाक व इज्जतदार बनना होता है। गुनाहों व बुराइयों से बचकर जीवन व्यतीत करने की शिक्षा रोजा देता है। रोजेदारों को इफ्तार कराने का सवाब रोजेदार के बराबर मिलता है। रसूल–ए–करीम का फरमान है कि रमजान भलाई का महीना है। अगर कोई रोजेदार भाई को इफ्तार करा देता है तो वह भी रोजेदार के बराबर सवाब का हकदार होता है। उसे भी उतना ही सवाब मिलता है जितना रोजेदार को मिलता है और रोजेदार के सवाब में कोई कमी नहीं होती है। नबी–ए–करीम ने इफ्तार में जल्दी करने की ताकीद फरमाते हुए कहा है कि अगर रोजेदार इफ्तार में जल्दी करता है तो वह कभी भी खैर व भलाई से वंचित नहीं हो सकता है, लेकिन समय का ख्याल रखना जरूरी है। इफ्तार के समय रोजेदार की हर नेक दुआ कुबूल होती है।

हाफिज नूरे इस्लाम ने कहा कि रसूल–ए–करीम ने सहरी खाने को कहा है। सहरी भर पेट या नाश्ते के बराबर हो सकती है। एक घूंट पानी या एक खजूर ही सही सेहरी के तौर पर लेना सवाब हासिल करने के साथ ही सुन्नत अदा कर सकते हैं। सहरी में दूध व फल आदि को भी शामिल किया जा सकता है। मीठी चीजें खाना सुन्नत है। सहरी खाने वाले के लिए फरिश्ते भी खैर व बरकत की दुआ करते हैं। डा. बाबर सिद्दीकी, आमिर निजाम, शमीम मनिहार, नवाज शरीफ, इसमाइल, फजलुर्रहमान, हसन मोहम्मद, असलम इदरीसी समेत भारी संख्या में रोजेदारों ने रोजा इफ्तार किया।

चित्रकला प्रतियोगिता से शत प्रतिशत मतदान के प्रति किया जागरूक

संवाददाता—बलरामपुर। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने एवं मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के प्रति प्रशासन वृहद मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चला रहा है जिसको लेकर शनिवार को स्पोर्ट्स स्टेडियम में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें भारी संख्या में छात्रों एवं युवाओं ने प्रतिभाग किया। चित्रकला में विजयी प्रतिभागियों को प्रशासन की ओर से पुरस्कृत किया गया।

चित्रकला प्रतियोगिता का शुभारंभ डीएम अरविंद सिंह की पत्नी निमिषा सिंह ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। उन्होंने छात्राओं की ओर से बनाए गए कलाकृतियों का अवलोकन कर सभी के प्रयासों की सराहना की। विशिष्ट अतिथि निमिषा सिंह व सीडीओ संजीव कुमार मौर्य ने आसमान में गुब्बारे छोड़कर मताधिकार का प्रयोग करने का संदेश दिया। चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन तीन ग्रुपों में किया गया। ग्रुप प्रथम में स्नातक से स्नातकोत्तर के छात्रों ने प्रतिभाग किया। जिसमें प्रथम पुरस्कार एमएलके पीजी कॉलेज की हर्षिता पाण्डेय व द्वितीय पुरस्कार शालू कश्यप एवं तृतीय पुरस्कार रोशनी को मिला। द्वितीय ग्रुप में कक्षा नौ से 12 तक के छात्रों ने प्रतिभाग किया। जिसमें शारदा पब्लिक स्कूल के शुभम साहू को प्रथम, सेंट जेवियर्स स्कूल की समीक्षा मिश्रा को द्वितीय एवं आदि शक्ति मां पाटेश्वरी विद्यालय की ज्योति विश्वकर्मा को तीसरा पुरस्कार मिला। वहीं तीसर ग्रुप में कक्षा चार से आठ तक की छात्र–छात्राओं ने प्रतिभाग किया। इसमें सर सैयद मांटेसरी स्कूल की जानशीन को प्रथम, यूपीएस रमवापुर की नसरीन व कम्पोजिट विद्यालय धुसाह की संजीवनी साहू को द्वितीय एवं फातिमा विद्यालय की ध्रुति को तृतीय पुरस्कार मिला। प्रथम पुरस्कार के विजेता को दस हजार, द्वितीय को सात हजार एवं तृतीय विजेता को पांच हजार रुपए का इनाम व प्रमाण–पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान मौजूद लोगों ने प्रलोभन मुक्त, धर्म, जाति व सम्प्रदाय से ऊपर उठकर मताधिकार का प्रयोग करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर सीडीओ की पत्नी डा. प्रकृति आनंद, डीएफओ की पत्नी सीमा सेम्मारन, डीडीओ गिरीश चन्द्र पाठक, पीडी सीपी श्रीवास्तव, डीसी मनरेगा सतीश पाण्डेय, डीआईओएस गोविंद राम सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

सुरक्षा को लेकर सतर्क रहें एसएसबी जवान– डीआईजी

संवाददाता—श्रावस्ती। लोकसभा चुनाव को लेकर उप–महानिरीक्षक सीमान्त मुख्यालय एसएसबी लखनऊ महेश कुमार श्रावस्ती पहुंचे। उन्होंने 62वीं वाहिनी एसएसबी मुख्यालय भिनगा का निरीक्षण किया। एसएसबी अधिकारियों से सीमा स्थिति की जानकारी ली और सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने का निर्देश दिया। श्रावस्ती पहुंचे डीआईजी महेश कुमार ने भिनगा के एसएसबी कैम्प कार्यालय व कैम्प परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने कमांडेन्ट रवीन्द्र कुमार राजेश्वरी, उपकमांडेन्ट सोनू कुमार, सहायक कमांडेन्ट विश्व राजीव कुमार के साथ ही वाहिनी के प्रशासन अधीनस्थ अधिकारियों के साथ सुरक्षा सम्बंधित बैठक की। बैठक में सीमा सुरक्षा समेत बिन्दुओं पर विषयों पर चर्चा की गई और कार्ययोजना बनाई गई। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारत–नेपाल सीमा पर सुरक्षा सम्बंधित सभी तैयारियां ठीक कर ली जाय। इसके अलावा मानव तस्करी को रोकने, सशस्त्र सीमा बल की ओर से की गई जब्तियों व उपलब्धियों की जानकारी ली। सीमा पर होने वाले मादक पदार्थ, हथियार, जाली नोट, पशुओं व अन्य वर्जित सामानों की तस्करी, वन्य अपराध की रोक व सीमा क्षेत्र में सड़क निर्माण की प्रगति, श्रावस्ती जिले में सीमा क्षेत्र में विकास प्रगति, नेपाल में राजनैतिक विकास व उसका भारत पर प्रभाव के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर सभी जवान सीमा पर कड़ी निगरानी रखें और संदिग्ध गतिविधियों पर कार्रवाई करें।

अमरमणि जानबूझकर कर रहे हैं आदेशों का उलंघन

संवाददाता—बस्ती। अपहरण केस में पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी केस में सुनवाई करते हुए एमपी—एमएलए न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। कहा है कि भगोड़ा अभियुक्त अमरमणि त्रिपाठी को न्यायालय के आदेशों के बारे में बखूबी जानकारी है। मगर वह जानबूझकर न्यायालय के आदेशों का उलंघन कर रहा है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तमधविशेष न्यायाधीश (एमपी—एमएलए कोर्ट) प्रमोद कुमार गिरि की अदालत ने कहा है कि 15 अप्रैल तक यदि कुर्की करके न्यायालय में रिपोर्ट नहीं की जाती तो प्रमुख सचिव गृह व डीजीपी के खिलाफ मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट, इलाहाबाद के समक्ष प्रकरण रखने के लिए रजिस्ट्रार जनरल हाईकोर्ट, इलाहाबाद को पत्र प्रेषित किया जायेगा।

न्यायालय ने कहा है कि अभियोजन के जरिए बताया गया है कि इस न्यायालय के आदेशों के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील किया था। जिसे 22 मार्च को निरस्त कर दिया गया। इस तरह स्पष्ट है कि भगोड़ा अभियुक्त अमरमणि त्रिपाठी को मामले की पूरी जानकारी है। वह जानबूझकर न्यायालय के आदेशिकाओं का उल्लंघन करते हुए मामले को विलंबित कर रहा है तथा न्यायालय में उपस्थित नहीं आ रहा है।

उसकी समस्त जिलों में स्थित सम्पत्तियों की कुर्की के लिए प्रमुख सचिव गृह व पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया गया था, जिसके बारे में कोई भी प्रपत्र न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रमुख सचिव गृह व पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ को रिमाइंडर जरिए नोडल ऑफिसर अपर पुलिस अधीक्षक क्राइम के माध्यम से इस आशय के साथ प्रेषित किया जाये कि वह अविलंब अभियुक्त अमरमणि त्रिपाठी की संपत्तियों को कुर्क कराकर कार्रवाई रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करे।

बता दें, कि 20 मार्च को सुनवाई के दौरान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तमधविशेष न्यायाधीश (एमपी—एमएलए कोर्ट) प्रमोद कुमार गिरि की अदालत ने कहा था कि अमरमणि की तरफ से उच्च न्यायालय में एनबीडब्लू आदेश को निरस्त करने की अर्जी दी है। जिसमें उच्च न्यायालय से कोई निर्देश जारी न होने की दशा में कुर्की की कार्रवाई आगे बढ़ाने के संबंध में सुनवाई 30 मार्च को की जाएगी। 22 मार्च को उच्च न्यायालय ने एनबीडब्ल्यू आदेश रोकने की अर्जी खारिज कर दी है। छह दिसंबर 2001 को व्यापारी धर्मराज मद्धेशिया के बेटे राहुल का अपहरण हो गया था। उसे अमरमणि के लखनऊ आवास से बरामद किया गया था। मामले में कोतवाली थाने में पूर्व मंत्री अमरमणि समेत नौ पर अपहरण का मामला दर्ज किया गया था। विवेचना के बाद पुलिस की ओर से दाखिल आरोप पत्र पर बस्ती के एमपी एमएलए कोर्ट ने ट्रायल शुरू किया। इसके बाद पूर्व मंत्री को तलब किया था, लेकिन वह कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया था। फिर भी पुलिस उन्हें अदालत में पेश नहीं कर सकी थी। इस पर नाराज स्पेशल कोर्ट ने यूपी के प्रमुख सचिव गृह व डीजीपी को पूर्व मंत्री की संपत्ति की कुर्की के साथ ही हर हाल में 20 मार्च को अदालत के सामने हाजिर करने का आदेश दिया था।

प्रगति पत्र और मेडल पाकर खिल उठे बच्चों के चेहरे

संवाददाता—गोरखपुर। गोला क्षेत्र के के बी राय एकेडमी पड़ौली—ककरही में शनिवार को प्रगति पत्र का वितरण किया गया। इस अवसर पर अपनी कक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वालों को प्रगति पत्र के साथ मेडल व शील्ड देकर सम्मानित किया गया। यूकेजी की अनीशिका मिश्रा, कक्षा एक की छात्रा साक्षी, खुशी सिंह, कक्षा पांच की ही तन्वी पाण्डेय, नर्सरी के आर्यन पाल, एलकेजी के राजबीर, कक्षा 6 के शिवांश राय, कक्षा 7 की सुप्रिया विश्वकर्मा और कक्षा 8 के जाफर राजा को अपनी कक्षा में सर्वोच्च अंक लाने पर डायरेक्टर शिवप्रताप राय ने प्रगति पत्र के साथ मेडल और शील्ड देकर सम्मानित किया। उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर प्रिंसिपल रुपम सेन सहित सभी शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारी मौजूद रहे।

दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

संवाददाता—संतकबीरनगर। जिले में अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जैनुद्दीन अंसारी की कोर्ट ने 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी विजय पर सजा के अतिरिक्त 50 हजार रुपए का अर्थदण्ड का भी निर्णय दिया है। अर्थदण्ड की धनराशि जमा न करने की स्थिति में आरोपी को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अर्थदण्ड की धनराशि जमा होने पर कोर्ट ने सम्पूर्ण धनराशि पीड़िता को प्रतिकर के रुप में प्रदान करने का आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त पीड़िता की उम्र 5 वर्ष 7 माह 21 दिन होने पर कोर्ट ने नालसा की प्रतिकर स्कीम के तहत पीड़िता को 2 लाख 50 हजार रुपए के भुगतान का भी आदेश दिया है।

विशेष लोक अभियोजक अभिमन्यु पाल, सत्येन्द्र शुक्ल एवं सत्य प्रकाश गुप्ता उर्फ टीटू ने बताया कि मामला जिले के धनघटा थाना क्षेत्र के एक ग्राम का था। प्रकरण में पीड़िता की मां ने अभियोग पंजीकृत कराया था। वादिनी का आरोप था कि 31 जनवरी 2020 को ज्वाला तिवारी के घर बरही थी। कार्यक्रम में डीजे बज रहा था। पीड़िता भी गांव के बच्चों के साथ डीजे देखने चली गई। रात आठ साढ़े आठ बजे तक जब बच्ची वापस नहीं आई तो वह ढूंढ़ने निकली और गांव वालों को बताया। बाद में रात लगभग 11 बजे उसने गांव के काली जी के मंदिर के पास अपनी पुत्री को बदहवास हालत में आते देखा। उसका हाथ पकड़कर विजय पुत्र परमहंस ग्राम खरचा थाना धनघटा खींचते हुए लेकर आ रहा था। वादिनी को देखते ही पुत्री को वहां फेंक कर भाग गया। बेटी बहुत घबराई हुई थी। उसके प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। उसके साथ मंदिर के पास ले जा करके गलत काम किया गया। सूचना मिलने पर कार्यक्रम में भगदड़ मच गई। गांव के लोगों से कह कर पुलिस को फोन कराया। उसके पति मुम्बई में काम करते हैं। पुलिस ने धारा 376 आईपीसी व धारा 5/6 पाक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया। विवेचना के उपरांत पुलिस आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। विशेष लोक अभियोजक सत्य प्रकाश गुप्ता उर्फ टीटू ने बताया कि अभियोजन ने कुल 6 गवाह न्यायालय में प्रस्तुत किया। पीड़िता की उम्र 5 वर्ष 7 माह 21 दिन है। एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जैनुद्दीन अंसारी की कोर्ट ने पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आरोपी को दोष सिद्ध करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। पाक्सो कोर्ट ने नालसा की प्रतिकर स्कीम के अंतर्गत पीड़िता को दो लाख 50 हजार रुपए के भुगतान का भी आदेश दिया है। प्रतिकर की धनराशि 30 दिन के अंदर भुगतान करने के लिए आदेश की प्रति के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं जिलाधिकारी को पत्र जारी करने का भी आदेश दिया है।

स्वच्छता अभियान में शिक्षकों की रहेगी अहम भूमिका

संवाददाता—सिद्धार्थनगर। भनवापुर ब्लॉक सभागार में संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान को लेकर शनिवार को बैठक हुई। अधीक्षक डॉ. शैलेंद्र मणि ओझा ने शिक्षकों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि एक अप्रैल से 30अप्रैल तक संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान चलाया जाना है। इस अभियान के सफलता में शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण है।

उन्होंने कहा कि सभी शिक्षक विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक में अभिभावकों को व प्रार्थना सभा में बच्चों को संचारी रोग नियंत्रण व दस्तक अभियान के बारे में जानकारी दें। बाल सभा के माध्यम से निबंध,पोस्टर पेंटिंग प्रतियोगिता के साथ रैली निकाल कर ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल का उपयोग, घर के आसपास साफ—सफाई, शौचालय का इस्तेमाल करने के लिए जागरूक करें। उन्होंने कहा कि इस समय मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। इससे बचाव के लिए सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें। फुल आस्तीन का कपड़ा पहनने के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि एक सप्ताह तक बुखार रहता है तो तुरंत सीएचसी पर जांच कराएं। इस अवसर पर अरुण चतुर्वेदी, राम प्रकाश मिश्र, आबिद रिजवी, अनिल, संतोष, रमेश, अवधेश भारती, रामकुमार, करुणा शंकर, दुर्गेश मिश्र आदि मौजूद रहे।

स्कूल के वार्षिकोत्सव में पुरस्कृत किए गए बच्चे

संवाददाता—गोरखपुर। आरडी पब्लिक स्कूल, पलिपा नई बाजार में वार्षिकोत्सव व वार्षिक परीक्षा परिणाम पुरस्कार कार्यक्रम का शनिवार को आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रबंधक रामदरश यादव ने माता सरस्वती को पुष्पांजलि अर्पित कर व दीप प्रज्वलित कर किया।

वार्षिक पुरस्कार वितरण में प्रथम पुरस्कार के रूप में नर्सरी से यूकेजी में दिव्या यादव, कक्षा एक से चार तक में नमन सिंह, कक्षा 5 से 8 तक में विवेक मौर्य को प्रबंधक रामदरश यादव व डायरेक्टर विजय यादव ने साइकिल व मेडल देकर पुरस्कृत किया।

प्रबंधक यादव ने कहा कि बच्चों को संस्कार व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है। बच्चे भी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने मेधावी बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए बधाई दी। इस अवसर पर कैप्टन आद्या प्रसाद दुबे, प्रदीप यादव, अजय कुमार यह उर्फ मंटू, दीपक तिवारी व विद्यांचल आदि उपस्थित रहे।

पिकअप की चपेट में आकर बाइक सवार की मौत

संवाददाता—गोरखपुर। बेलीपार थाना क्षेत्र के कसिहार के समीप 25 वर्षीय युवक सामने से आ रही पिकअप गाड़ी की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बेलीपार के जंगल दिर्घन निवासी इब्राहिम का पुत्र मल्लू लोना 25 वर्ष कौड़ीराम में बर्फ का ठेला लगाता है वह अपनी पल्सर बाइक से कौड़ीराम जा रहा था इस बीच बेलीपार थाना क्षेत्र के कसिहार चौराहे से आगे तीन ताखा पुल के पास सामने से आ रही गेहूं लदी पिकअप गाड़ी संख्या यूपी 54 टी 1048 ने सामने से जोरदार टक्कर मार दी। जिससे मल्लू की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद पिकअप चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया।

RELIGION CHANGE

I RAM GOPAL S/O PANCHAM R/O GRAM-AMAULI, POST-HATHIYA GARH, DISTRICT-BASTI UTTAR PRADESH PIN CODE-272002 Hareby solemnly affirm and declar that I have embraced BUDDHISM religion and Renounced HINDUISM religion w.e.f. 29.05.2023

I have changed Only my religion not my name

It is Certifieced that I have Complied with other Legal Requirements in this Connection.

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा माध्यमिक शिक्षा परिषद (उ.प्र.) इण्टर मीडिएट वर्ष **2021** अनुक्रमांक **217286222** का अंक पत्र, सह अंक पत्र वास्तव में खो गया है।

(ईशा भारती)
पुत्री श्री मनोज कुमार
ग्राम— पिकौरा शुक्ल
पोस्ट— ओडवारा
जनपद— बस्ती (उ.प्र.)

RELIGION CHANGE

I RAJ KUMAR SAMDASHI S/O RAMVACHAN R/O GRAM-KORMA,POST-MANAOWA,DISTRICT-BASTI UTTAR PRADESH PIN CODE-272301 Hareby solemnly affirm and declar that I have embraced BUDDHISM religion and Renounced HINDUISM religion w.e.f. 29.05.2023

I have changed Only my religion not my name

It is Certifieced that I have Complied with other Legal Requirements in this Connection.

अदालती नोटिस

(हेतु सन्दर्शित करने की सूचना साधारण प्रारूप)
न्यायालय—श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) बांसी जिला सिद्धार्थनगर
मूलवाद सं0 330 / 2021
विजय प्रताप सिंह
बनाम
सरकार उ0प्र0
सरकार उ0प्र0 द्वारा जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर जनपद सिद्धार्थनगर
तारीख पेशी 26—04—2024

चूंकि उपरीनामांकित ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि अतएवं आपके एतद द्वारा चेतावनी दी जाती है कि आप इसे आदेश के खिलाफ हेतु सन्दर्भित करने के लिये 2024 के माह 04 के 26 दिवस को 10.00 बजे पूर्वान्ह में स्वयं या सम्पर्क रूपेण अनुर्दिष्ट अपने अधिवक्ता द्वारा उपस्थित हो और ऐसा न करने पर उक्त आवेदन एक पक्षीय रूप से सुना जायेगा।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा सहित आज सन 20 के माह के दिवस को निकाली गयी।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा बनाम रेपान्डेन्ट बावत इत्तिला तारीख मुकर्ररह समायत अपील
वाद सं0 C202217000000389
अदालत—श्रीमान अपर आयुक्त (प्रशासन) बस्ती मण्डल महोदय बस्ती जिला—बस्ती
राकेश कुमार आदि
बनाम
रामतीरथ आदि
1. रामतीरथ पुत्र बंशराज साकिन मौजा रघुनाथपुर तप्पा सिकन्दरपुर परगना बस्ती पूरव तहसील भानपुर जिला—बस्ती 2. ग्राम पंचायत / भूमि प्रबंधक समिति रघुनाथपुर तप्पा सिकन्दरपुर परगना बस्ती पूरव तहसील भानपुर जिला—बस्ती / द्वारा प्रधान / अध्यक्ष 3. प्रहलाद पुत्र भगौती 4. मदन मोहन पुत्र दुर्गा प्रसाद 5. राजेश कुमार पुत्र राजेन्द्र प्रसाद 6. श्रीमती रजनी पत्नी राजेन्द्र प्रसाद साकिन मौजा रघुनाथपुर तप्पा सिकन्दरपुर परगना बस्ती पूरव तहसील भानपुर जिला—बस्ती
तारीख पेशी 15—04—2024
अपील बनराजी अदालत मुकाम बस्ती
मयरिखा महीना सन् 20 ई0
रेस्पान्डेन्टस

इत्तिला दी जाती है कि अपील बनराजी डिगरी इस मुकदमें में मुसम्मी ने पेश इस अदालत में दर्ज रजिस्टर हुआ और इस अदालत व तारीख 15 महीना 04 सन 2024 ई0 वास्ते जमानत तथा अपील मुकर्रर का है।

अगर खुद या आपके वकील या और शख्स जो कानूनन आपकी तरफ से अपील हाजा में जबाब सवाल करने वाजिद हो हाजिर न आयेगा तो उसकी समायत और तजबीज आपकी गैर हाजिरी में एकतरफा हो जायेगी।

आज बतारीख 30 माह 03 सन 2024 ई. मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के हवाले किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा बनाम रेपान्डेन्ट बावत इत्तिला तारीख मुकर्ररह समायत अपील
वाद सं0 C 20171700564
अदालत—श्रीमान अपर आयुक्त (प्रशासन) बस्ती मण्डल महोदय बस्ती जिला—बस्ती
श्रीमती ज्ञानमती उर्फ भानमती आदि
बनाम
लखराज
1. लखराज पुत्र सोमई (जीरा मृतक के वारिस (पति) साकिन सजनी तप्पा थरौली परगना नौगढ़ तहसील नौगढ़ जिला—सिद्धार्थनगर
तारीख पेशी 02—04—2024
अपील बनराजी अदालत मुकाम बस्ती
मयरिखा महीना सन् 20 ई0
रेस्पान्डेन्टस

इत्तिला दी जाती है कि अपील बनराजी डिगरी इस मुकदमें में मुसम्मी ने पेश इस अदालत में दर्ज रजिस्टर हुआ और इस अदालत व तारीख 02 महीना 04 सन 2024 ई0 वास्ते जमानत तथा अपील मुकर्रर का है।

अगर खुद या आपके वकील या और शख्स जो कानूनन आपकी तरफ से अपील हाजा में जबाब सवाल करने वाजिद हो हाजिर न आयेगा तो उसकी समायत और तजबीज आपकी गैर हाजिरी में एकतरफा हो जायेगी।

आज बतारीख 30 माह 03 सन 2024 ई. मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के हवाले किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बरगज इनफिसाल मुकदमा (आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाप्ता 200 ई0)
वाद सं0— / 20
अदालत— श्रीमान जिलाधिकारी महोदय सिद्धार्थनगर
परशुराम
बनाम
रोशन अली आदि
1. रोशन अली वालिग 2. आशिक अली वालिग पुत्रगण शेर अली 3. मुस्तफा वालिग पुत्र लालमन 4. शिव प्रसाद वालिग पुत्र हंसराज समस्त निवासीगण ग्राम कोड़री तप्पा कोड़री परगना बांसी पूरव तहसील बांसी जिला—सिद्धार्थनगर
—प्रतिवादीगण प्रथम वर्ग
5. अध्यक्ष भूमि प्रबन्धक समिति ग्राम पंचायत कोड़री तप्पा कोड़री परगना बांसी पूरव तहसील बांसी जिला—सिद्धार्थनगर
—प्रतिवादी द्वितीय वर्ग
तारीख पेशी 23—04—2024

वाजेह हो कि ने आपके नाम एक नालिस बाबत दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 23 माह 04 सन 2024 ई0 बवक्त 10 बजे दिन बमुकाम असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके हाजिरी के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तदलाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय—श्रीमान सिविल जज (सी0डि0) एफ0टी0सी0 बस्ती जिला—बस्ती
वाद सं0 129 / 1995
विनोद कुमार
बनाम
राम आसरे
2/2 बुधिराम उम्र 46 साल पुत्र रामसत्त निवासी ग्राम बघौली तप्पा उतरावल परगना मगहर पूरव तहसील खलीलाबाद जिला संतकबीर नगर
तारीख पेशी 09—04—2024

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 09 माह 04 सन 2024 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा। बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय—श्रीमान सिविल जज (सी0डि0) बस्ती जिला—बस्ती
वाद सं0 P.A. 2 / 17
कृष्ण स्वरूप
बनाम
गिरजाशंकर
2/1 संजय कुमार उम्र करीब 53 साल 2/2 राजीव कुमार उम्र करीब 50 साल पुत्रगण ब्रहम्मस्वरूप 2/3 ज्योति उम्र करीब 48 साल पुत्री ब्रहम्मस्वरूप निवासीगण मोहल्ला रामेश्वरपुरी तप्पा हवेली परगना बस्ती पूरव तहसील व जिला—बस्ती
तारीख पेशी 08—04—2024

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 08 माह 04 सन 2024 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा। बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा बनाम रेपान्डेन्ट बावत इत्तिला तारीख मुकर्ररह समायत अपील
नि0नं0 1035 / 2023
अदालत—श्रीमान डी0डी0सी0 महोदय बस्ती जिला—बस्ती
मोइनुद्दीन
बनाम
जुबेर अहमद आदि
1. जुबेर अहमद 2. अब्दुल हक 3. जुनेल अहमद 4. तुफेल अहमद 5. सुहेल अहमद पुत्रगण फरहाद हुसेन उर्फ झिनकन निवासी ग्राम बैरागल तप्पा ऊजी परगना नगर पश्चिम तहसील हर्रैया जिला—बस्ती
तारीख पेशी 02—04—2024
अपील बनराजी अदालत मुकाम
मयरिखा महीना सन् 20 ई0
रेस्पान्डेन्टस

इत्तिला दी जाती है कि अपील बनराजी डिगरी इस मुकदमें में मुसम्मी ने पेश इस अदालत में दर्ज रजिस्टर हुआ और इस अदालत व तारीख 02 महीना 04 सन 2024 ई0 वास्ते जमानत तथा अपील मुकर्रर का है।

अगर खुद या आपके वकील या और शख्स जो कानूनन आपकी तरफ से अपील हाजा में जबाब सवाल करने वाजिद हो हाजिर न आयेगा तो उसकी समायत और तजबीज आपकी गैर हाजिरी में एकतरफा हो जायेगी।

आज बतारीख 12 माह 03 सन 2024 ई. मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के हवाले किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

इश्तहार मजरिया अदालत— श्रीमान सिविल जज (सी0डि0) बस्ती जिला—बस्ती
प्रकीर्णवाद सं0 45 / 2024
श्रीमती कमला देवी—सायल
1. श्रीमती कमला देवी पत्नी स्व0 भोला प्रसाद गुप्ता निवासी स्टेशन रोड पुरानी बस्ती मौजा बस्ती खास तप्पा हवेली परगना बस्ती पूरव तहसील व जिला—बस्ती
तारीख पेशी 18—04—2024
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम—1925
दरख्वास्त मुसम्मा
वास्ते हुसूल सर्टीफिकेट वसूल कर्जा व विकालत हाय दरख्वास्त मुसम्मा मुतवफ्फा अपने बमूजिब एक्ट 7 सन 1889 ई0 वकैद

हरगाह मुसम्मा ने दरख्वास्त हुसूल सर्टीफिकेट गुजरानी है और तारीख माह सन ई0 वास्ते समाअत दरख्वास्त के मुकर्रर हुई है। लिहाजा यह इश्तिहार जारी किया जाता है कि किसी को निस्बत के उज्र हो या असालतन या वकालतन वक्त 10 बजे सुबह अदालत सिविल जज (सी0डि0) बस्ती बतारीख पेशी 18—04—2024 मुकर्रर हाजिर होकर उज्र अपना पेश करें। दरसूरत इनकजाय तारीख मजकूर के फिर उज्र किसी का सुना न जायेगा और हुक्म मुनासिब निस्बत दरख्वास्त मजकूर के सादिर होगा।
अलमरकूम माह सन 20 ई0।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

इश्तहार मजरिया अदालत— श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) खलीलाबाद बस्ती जिला—बस्ती
प्रकीर्णवाद सं0 21 / 2024
ज्ञानेन्द्र कुमार आदि—सायलान
1. ज्ञानेन्द्र कुमार उम्र लगभग 32 वर्ष 2. महेन्द्र कुमार उम्र लगभग 30 वर्ष 3. अतीन्द्र कुमार उम्र लगभग 28 वर्ष पुत्रगण राम निरंजन निवासीगण मौजा खखोड़ा तप्पा कलवारी परगना नगर पूरव तहसील व जिला—बस्ती
तारीख पेशी 08—05—2024
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम—1925
दरख्वास्त मुसम्मा
वास्ते हुसूल सर्टीफिकेट वसूल कर्जा व विकालत हाय दरख्वास्त मुसम्मा मुतवफ्फा अपने बमूजिब एक्ट 7 सन 1889 ई0 वकैद

हरगाह मुसम्मा ने दरख्वास्त हुसूल सर्टीफिकेट गुजरानी है और तारीख माह सन ई0 वास्ते समाअत दरख्वास्त के मुकर्रर हुई है। लिहाजा यह इश्तिहार जारी किया जाता है कि किसी को निस्बत के उज्र हो या असालतन या वकालतन वक्त 10 बजे सुबह अदालत सिविल जज (जू0डि0) खलीलाबाद बस्ती बतारीख पेशी 08—05—2024 मुकर्रर हाजिर होकर उज्र अपना पेश करें। दरसूरत इनकजाय तारीख मजकूर के फिर उज्र किसी का सुना न जायेगा और हुक्म मुनासिब निस्बत दरख्वास्त मजकूर के सादिर होगा।
अलमरकूम 30 माह 03 सन 20 ई0।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

इश्तहार मजरिया अदालत— श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला—बस्ती
प्रकीर्णवाद सं0 343 / 2023
तारा देवी—सायलान
1. तारा देवी पत्नी संजय कुमार 2. सचिन कुमार 3. अंकित कुमार पुत्रगण संजय कुमार नावालिगान ववलायत माता हकीकी तारा देवी 4. सितारा देवी पत्नी राम दुलारे साकिन बनकसही तप्पा हवेली परगना बस्ती पूरव तहसील व जिला—बस्ती
तारीख पेशी 24—04—2024
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम—1925
दरख्वास्त मुसम्मा
वास्ते हुसूल सर्टीफिकेट वसूल कर्जा व विकालत हाय दरख्वास्त मुसम्मा मुतवफ्फा अपने बमूजिब एक्ट 7 सन 1889 ई0 वकैद

हरगाह मुसम्मा ने दरख्वास्त हुसूल सर्टीफिकेट गुजरानी है और तारीख माह सन ई0 वास्ते समाअत दरख्वास्त के मुकर्रर हुई है। लिहाजा यह इश्तिहार जारी किया जाता है कि किसी को निस्बत के उज्र हो या असालतन या वकालतन वक्त 10 बजे सुबह अदालत सिविल जज (जू0डि0) बस्ती बतारीख पेशी 24—04—2024 मुकर्रर हाजिर होकर उज्र अपना पेश करें। दरसूरत इनकजाय तारीख मजकूर के फिर उज्र किसी का सुना न जायेगा और हुक्म मुनासिब निस्बत दरख्वास्त मजकूर के सादिर होगा।
अलमरकूम माह सन 20 ई0।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

इश्तहार मजरिया अदालत— श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला—बस्ती
प्रकीर्णवाद सं0 52 / 2024
दुर्गावती—सायलान
1. दुर्गावती उम्र करीब 70 साल पत्नी स्व0 राम कुबेर 2. रामबेचन उम्र करीब 45 साल 3. बृजेश कुमार उम्र करीब 38 साल 4. विमलेश उम्र करीब 30 साल पुत्रगण स्व0 राम कुबेर निवासीगण मौजा परसोहिया तप्पा कोठिला परगना बस्ती पूरव तहसील भानपुर जिला—बस्ती
तारीख पेशी 23—04—2024
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम—1925
दरख्वास्त मुसम्मा
वास्ते हुसूल सर्टीफिकेट वसूल कर्जा व विकालत हाय दरख्वास्त मुसम्मा मुतवफ्फा अपने बमूजिब एक्ट 7 सन 1889 ई0 वकैद

हरगाह मुसम्मा ने दरख्वास्त हुसूल सर्टीफिकेट गुजरानी है और तारीख माह सन ई0 वास्ते समाअत दरख्वास्त के मुकर्रर हुई है। लिहाजा यह इश्तिहार जारी किया जाता है कि किसी को निस्बत के उज्र हो या असालतन या वकालतन वक्त 10 बजे सुबह अदालत सिविल जज (जू0डि0) बस्ती बतारीख पेशी 23—04—2024 मुकर्रर हाजिर होकर उज्र अपना पेश करें। दरसूरत इनकजाय तारीख मजकूर के फिर उज्र किसी का सुना न जायेगा और हुक्म मुनासिब निस्बत दरख्वास्त मजकूर के सादिर होगा।
अलमरकूम माह सन 20 ई0।

द0 हाकिम

दैनिक
भारतीय बस्ती

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग प्रेस वि0. नया हाल 1—4 A लोहिया काम्पलेक्स जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित।
सम्पादक दिनेश चन्द्र पाण्डेय

प्रबन्ध सम्पादक—**दिनेश सिंह**
संयुक्त सम्पादक—**प्रदीप चन्द्र पाण्डेय**
अयोध्या—फैजाबाद कार्यालय—
चतुर्भुजी मंदिर परिसर लक्ष्मण घाट अयोध्या—फैजाबाद
लखनऊ कार्यालय—
आशियाना चौराहा, एल.डी.ए. कालोनी, सेक्टर एच. कानपुर रोड लखनऊ।
गोरखपुर कार्यालय—
इलाहीबाग गोरखपुर।
मो09450567450 9336715406,
ई.मेलbhartiyabasti@yahoo.com
bhartiyabasti@gmail.com